Nisha/Dombivilli PHM

एड्स और मानव अधिकारों का संकट

एड्स पर एक रिपोर्ट

एड्स भेदभाव विरोधी आन्दोलन

अप्रैल 1991, नई दिल्ली

एड्स भेदभाव विरोधी आन्दोलनः

अरुण भण्डारी
डा. जे. पी. जैन
जे. एस. कोहली
ललिता एस. ए.
डा. पी. एस. साहनी
शालिनी एस सी एन
सिद्धार्थ गौतम

केवल निजि वितरण के लिए
सहयोग राशिः रूपये 8/– (केवल)

प्रतियों के लिए सम्पर्क करें
डा. जे. पी. जैन, ए–78/1, नन्द राम पार्क,
उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059.

आभारः
ग्रुप उन सभी साथियों और स्वैच्छिक संस्थाओं का धन्यवाद करता है
जिन्होंने रिपोर्ट तैयार करने में नैतिक तथा आर्थिक सहयोग प्रदान किया ।
इस रिपोर्ट की प्रथम 600 प्रतियों की कुल लागत 4800/–रुपये आयी है।

मुद्रकः
जैन प्रिन्टिंग सिस्टम,
1007–8 तिराहा बैहराम खां, दरियागंज, नई दिल्ली–110002

विषय सूची

		पृ० संख्या
समर्पण		1
भूमिका		2
भाग–1. एड्स और सरकार की नीति		
1.	"यह ईश्वरीय कृपा ही है कि मैं जी रहा हूँ ।" एक एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्ति की आपबीती	6
2.	एड्स के बारे में सही व गलत धारणायें	13
3.	संसद और एड्स बिल	16
4.	"भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद" द्वारा अभियान	21
5.	"अ. भा. आ. चि. संस्थान" तथा अन्य चिकित्सा संस्थानों की भूमिका	26
6.	भारतीय चिकित्सा परिषद् की भूमिका	36
7.	कहां है ड्रग कन्ट्रोलर आफ इन्डिया ? दूषित रक्त से बनी दवाईयों का मुद्दा	41
8.	पहले से ही लांछित लोगों को और लांछित करना	43
9.	ब्लड बैंक बनाम थाने	45
10.	काले कानून– अंधा न्याय	48
भाग 2 : वेश्यावृत्ति में महिलाओं की पहले ही से असुरक्षित स्थिति		
1.	पुलिस एवम् न्यायपालिका की भूमिका	53
2.	कानूनः– महिलाओं को सताने का एक साधन	59
3.	स्वैच्छिक संस्थायेंः– उनका नज़रिया व भूमिका	66
4.	प्रचार माध्यमों की कमियाँ	70
मांग पत्र		77

समर्पण

कुछ वर्ष पूर्व तमिलनाडु की एक महिला, एक दलाल द्वारा नौकरी का लालच दिलाकर बम्बई में वेश्यावृत्ति में धकेल दी गयी । उसे काफी समय इस पेशे में रहना पड़ा । 26 मई, 1990 को एक स्वैच्छिक संस्था तथा तमिलनाडु व महाराष्ट्र पुलिस द्वारा सोनापुर जिले (पूर्वी बम्बई) के एक कोठे से छापा मारकर इस महिला को 'मुक्त' कराया गया । उस वक्त उसे यह आश्वासन दिया गया कि "उसको नौकरी दी जायेगी और उसे उसके परिवार से मिलवाया जायेगा ।" उसे 824 अन्य 'मुक्त' करायी गई महिलाओं के साथ एक विशेष रेलगाड़ी 'मुक्ति एक्सप्रैस' द्वारा तमिलनाडु लाया गया । उसे वहां के एक आश्रम–अभयनिलायम में रखा गया । रक्त जाँच द्वारा वह एच. आई. वी. पोजिटिव पाई गई । प्रारम्भिक जाँच द्वारा ही उसे एच. आई. वी. पोजिटिव घोषित कर दिया गया । पुष्टि करने के लिए जरूरी दूसरी जाँच की ही नहीं गई । यह भी संभव है कि वह एच. आई. वी. पोजिटिव थी ही नहीं । चूंकि उसे गैरकानूनी रूप से कारागार में रखा गया था, राज्य सरकार ऐसा कानून बनाने की सोच रही थी जिसे कानून बनने से पहले से ही लागू माना जाता ।

29 जून, 1990 को वह अंजान महिला संदिग्ध अवस्था में मृत पायी गई। पुलिस का मानना था कि उसने जहर खा लिया था । हिरासत में होने वाली अप्राकृतिक मौत की अदालती जाँच आवश्यक है । लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ । पोस्ट मार्टम भी नहीं किया गया । सरकार के 'मुक्ति अभियान' द्वारा उसे दुनिया से ही मुक्ति मिल गई । यह रिपोर्ट उसी अंजान महिला को समर्पित है ।

भूमिका

दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, महिला अधिकार तथा शान्ति के क्षेत्रों में कार्यरत कुछ स्वंयसेवी कार्यकर्ताओं ने जी0 बी0 रोड में कार्य करने का निश्चय किया । इनका उद्देश्य उन महिलाओं की समस्याओं के बारे में जानना था जिन्हें समाज द्वारा वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया है । ग्रुप यह भी जानना चाहता था कि "क्या इन महिलाओं को ग्रुप की सहायता की आवश्यकता है ? यदि हाँ तो क्या ग्रुप लम्बे समय तक काम करेगा" ?

जनवरी 1989 से ग्रुप के तीन सदस्य ललिता एस. ए. (ज्वाइंट विमैन प्रोग्राम) डा. जे. पी. जैन और शालिनी एस सी एन (भारतीय समाज सेवा संस्थान) एक कोठे में सप्ताह में एक बार जाकर मुफ्त डिस्पैंसरी चला रहे हैं । दो वर्ष तक दवा का खर्च ग्रुप के सदस्य मासिक चन्दे के रूप में देते रहे । अब लगभग छः महीने से दवा की कुछ मदद दिल्ली प्रशासन ने देना शुरू किया है । मुफ्त वितरण के लिए कन्डोम (निरोध) लोक नायक जय प्रकाश नारायण (इर्विन) अस्पताल से मिलता है ।

इस कार्य में जी. बी. रोड की महिलाओं का पूरा सहयोग मिलता है । यदि कोई व्यक्ति किसी ग्रुप सदस्य को तंग करने की कोशिश करता है तो ये महिलायें सामना करती हैं । दवा व कंडोम बाँटने में भी इनकी भूमिका रहती है।

धीरे–धीरे इन्होंने अपनी समस्याओं को सामने रखना शुरू किया जैसे कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान व भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई. सी. एम. आर.) के डाक्टरों ने पुलिस के साथ आकर इनकी जबरन खून जाँच की । बाद में पता लगा कि वह जाँच एड्स के लिए थी। इसी बीच संसद में एड्स बिल (विधेयक) लाया गया जिसमें इन महिलाओं और कुछ अन्य कमज़ोर वर्गों की जबरन जाँच की बात कही गई है । इस बिल का विरोध करने के लिए 12 अक्टूबर, 1989 को जे. डब्ल्यू. पी. संस्था द्वारा एक मिटिंग बुलाई

गई । मिटिंग में बिल के विरोध में ग्रुप सदस्यों ने अपने विचार रखे। सम्बन्धित अधिकारियों को ज्ञापन भी दिये गये । राज्य सभा की याचिका समिति को 9 अगस्त 1990 को इस संदर्भ में ग्रुप द्वारा एक पत्र भेजा गया । पत्र में एड्स बिल को वापस लेने की बात कही गई थी । इसके सर्मथन में कई संस्थानों ने भी इसी आशय के पत्र समिति को भेजे । अब यह बिल संयुक्त संसदीय समिति को पुनर्विचार के लिए सौंप दिया गया है ।

12 दिसम्बर, 1989 को जे0 डब्ल्यू0 पी0 संस्था द्वारा "वेश्यावृत्ति और एड्स" विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई । इसमें जी0 बी0 रोड की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया । ग्रुप द्वारा "राष्ट्रीय विज्ञान दिवस" (28 फरवरी, 1990) के दिन आयोजित धरने में भी इन महिलाओं ने भाग लिया । यह धरना सरकार की जनविरोधी एड्स नीति के विरोध में किया गया । 15 मार्च, 1990 को दिल्ली पुलिस ने "जुविनाइल जस्टीस एक्ट" के तहत जी0 बी0 रोड में छापा मारकर 112 "बच्चों" को गिरफ्तार कर लिया । इस कार्यवाही के विरोध में इन महिलाओं ने कई जगहों पर धरने दिये । अगले कुछ दिनों में मजिस्ट्रेट ने अधिकतर "बच्चों" को इसलिए रिहा कर दिया क्योंकि वह बालिग थे । बाकी बच्चों को भी छोड़ देना पड़ा क्योंकि वह किसी भी रूप से उपेक्षित नहीं पाये गये ।

"केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड" ने 28–29 मई, 1990 को "वेश्यायें और उनके बच्चे" विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें संभवत पहली बार जी0 बी0 रोड की महिलाओं को भी आमंत्रित किया गया । औरतों ने विचार रखे कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पक्की नौकरी व घर मिलना आवश्यक है । उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि "शादी उनकी समस्या का हल नहीं है" क्योंकि अधिकतर महिलायें शादी के बाद इस धन्धे में धकेली जाती हैं ।

ग्रुप सदस्यों ने दिल्ली, बम्बई, गोवा व मद्रास के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत पदाधिकारियों, कर्मचारियों, ब्लड बैंक के डाक्टरों और एच0 आई0 वी0 पोजिटिव व्यक्तियों से बातचीत की है । समलिंगी व्यक्तियों, सुई से नस में नशीली दवायें लेने वाले व्यक्तियों और खून बेचने वाले व्यक्तियों के हालात भी जानने की कोशिश की गई ।

माह में दो बार की औसत से ग्रुप सदस्यों ने सरकारी अफसरों से मिलकर जी. बी. रोड की महिलाओं की समस्याओं को रखा तथा एच० आई० वी० पोजिटिव व्यक्तियों के बारे में जो सही कदम उठाये जाने चाहिए, उसके सुझाव इत्यादि दिये। जी० बी० रोड की महिलायें भी कई बार इन मिटिंगों में साथ गईं ।

इन अफसरों में से कुछ के विचार में ये महिलायें तथा एच० आई० वी० पोजिटिव लोग अनैतिक होने के कारण अपना हक मांगने के अधिकारी नहीं थे। साथ ही बहुत से अफसर औरतों को बराबरी का हक देने को तैयार नहीं थे । पिछले ढ़ाई वर्षों के दौरान निम्नलिखित अफसरों से ग्रुप सदस्य मिले ।

– भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक डा० ए० एस० पेन्टल
– केन्द्रिय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की निदेशिका डा० श्रीमति एन० ए० नाथ
– भारतीय चिकित्सा परिषद् की उपसचिव डा० श्रीमति एम० सचदेव
– दिल्ली प्रशासन के स्वास्थ्य सचिव
– दिल्ली प्रशासन, समाज सेवा निदेशालय के निदेशक
– दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के उपायुक्त
– मौलाना आजाद मैडिकल कालेज में स्त्री रोग व प्रसूति विभाग की प्रोफेसर
– तथा 'प्रीवेन्टीव एन्ड सोशल' विभाग की प्रोफेसर

इस रपट के प्रथम भाग में सरकार की एड्स नीति के संदर्भ में बताया गया है कि किस प्रकार से तथाकथित अधिक ज़ोखिम वाले वर्गों के व्यक्ति जो स्वंय को पहले ही असुरक्षित महसूस करते आ रहे थे, एड्स के नाम पर और अधिक अत्याचार के शिकार हो रहे हैं । दूसरे भाग में वेश्यावृत्ति में महिलाओं की कमज़ोर स्थिति पर प्रकाश डाला गया है । यह धारणा भी गलत सिद्ध होती है कि समाज में परिवार की संस्था और समाज के स्वास्थ्य के लिए वेश्यावृत्ति का होना आवश्यक है ।

आशा की जाती है कि इस रिपोर्ट से एच० आई० वी० और एड्स के बारे में चेतना जागृत होगी और सरकार की जनविरोधी एड्स नीति के विरोध में

आवाज उठेगी । ग्रुप इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि एड्स केवल "अधिक जोखिम वाले वर्गों" का ही रोग नहीं है बल्कि यह किसी को भी हो सकता है । यदि जल्द ही सही कदम न उठाये गये तो एच० आई० वी० पोजिटीव व्यक्तियों तथा एड्स मरीजों के ऊपर वैसे ही अत्याचार होंगे जो सैंकड़ों वर्षों से कुष्ठ रोगियों पर होते आ रहे हैं ।

भाग 1

एड्स और सरकार की नीति

1 "यह ईश्वरीय कृपा ही है कि मैं जी रहा हूँ", डोमिनिक डिसूजा की आपबीती ।

"मुझे एच. आई. वी. पोजिटिव होने के कारण समाज से अलग करने के इरादे से गिरफ्तार किया गया । मेरे लिए यह मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक अनुभव था । गोवा पुलिस, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ओर चिकित्सा कर्मचारियों सभी ने मेरे साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया कि मुझे लगा जैसे कि उन्हें मुझको पीड़ा पहुँचाकर कोई सुख प्राप्त हो रहा था । उनके व्यवहार ने मेरे दिल और दिमाग पर जो जख्म छोड़ा है, मैं जानता हूँ कि वह कभी नहीं भरेगा ।

आधी रात को बुलावा–

मुझे गिरफ्तार करने से पहले यह भी नहीं बताया गया कि मैं एच. आई. वी. पोजिटिव हूँ । 14 फरवरी 1989 को तड़के; सादी वर्दी में एक पुलिस वाला मेरे घर आया और मुझे मापूसा पुलिस स्टेशन आने को कहा । पुलिस स्टेशन में मुझसे पूछा गया कि क्या मैं कभी सरकारी अस्पताल में भरती हुआ था । मैंने बताया कि मैं डेढ़ वर्ष पहले मामूली बीमारी से भर्ती हुआ था । उन्होंने मुझे आश्वस्त करने के लिए कहा कि वे इसलिए तहकीकात कर रहे थे क्योंकि मेरे छुट्टी के कागजों में कुछ कमी थी । मैंने उनका विश्वास किया और उनके साथ पहले सरकारी अस्पताल और फिर पैन्जिम पुलिस स्टेशन चल दिया ।

बन्दूकधारी पुलिसकर्मियों द्वारा निगरानी–

मुझे वापस मापूसा पुलिस स्टेशन लाया गया और वहाँ से वापस सरकारी

अस्पताल, जहाँ डाक्टरों ने मुझे जाँच करना शुरू किया । मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मामला क्या था । में मना करना चाहता था परन्तु मैं बहुत डर गया था । मैंनें डाक्टरों, नर्सों और अस्पताल के अन्य व्यक्तियों से बार–बार पूछा कि क्या बात थी ? वे मुझसे कुछ न बोले। तभी मैंनें देखा कि बाहर छः पुलिसकर्मी थे, दो बन्दूकधारी तथा चार के पास लाठियाँ थीं । तब मैंने डाक्टरों को फुसफुसाते हुए देखा । वे मेरी ओर देखे जा रहे थे। धीरे–धीरे अस्पताल के अन्य विभागों से भी लोग आकर इकट्ठा होने लगे । सब मुझे घूर रहे थे । जब नर्स ने मेरे भर्ती कागजों पर एड्स शब्द लिखा तब मुझे बात समझ में आई । लेकिन किसी भी अधिकारी ने मुझे उस वक्त या बाद में नहीं बताया कि मैं एच. आई. वी. पोजिटिव हूँ ।

क्या आप कभी भी समझ पाएँगे कि मैंने कैसा महसूस किया होगा जब मुझे बन्दूकधारी पुलिसकर्मियों की निगरानी में रहना पड़ा ? मुझसे लज्जा जनक प्रश्न पूछे गये, तथा मुझको मेरी बूढ़ी माँ से भी सम्पर्क नहीं करने दिया गया । मुझे एक गन्दे कमरे में धकेल दिया गया । पीने का पानी शौचालय के नल से मिलता था । मैं बहुत अकेला, बेबस और भयभीत हो गया । आप केवल कुछ ही समझ पाएँगे कि मुझे कितनी तकलीफ पहुँचाई गई तथा अपमानित किया गया। मुझे बिल्कुल छोड़ दिया गया । मैंने मन में भगवान से प्रार्थना की कि मुझको मौत आ जाए । मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहता था । कारावास के पहले चौबिस घंटे मैं इसलिए जीवित रहा कि मुझको ईश्वर ने नहीं बुलाया । मेरे पास कोई चाकू या पिस्तौल भी नहीं था, जिससे मैं अपने प्राण ले सकता ।

मेरी माँ और पड़ौसी चौबिस घंटे भटकने के बाद ही मुझे खोज पाए । उनके सामने आना मेरे लिए अत्यन्त दुःखदायी था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी वज़ह से उन्हें इतनी परेशानी हुई । मेरी माँ और दोस्तों ने मुझे सहारा देने में अद्‌भुत साहस का उदाहरण पेश किया है । वे इस व्यवस्था से लड़ने को तैयार हैं जिसमें एच. आई. वी. पोजिटिव, व्यक्तियों और एड्स मरीजों को समाज से अलग रखने की बात की जा रही है । उनका यह सहारा न होता तो मैं इस संकट का सामना न कर पाता ।

अखबारों ने पूरी घटना को सनसनीखेज बना दिया जिससे हमें बहुत दुःख पहुँचा । उन्होंने मुझसे व मेरे परिवार से तथ्य जानने की कोई कोशिश नहीं की । एड्स के बारे में अखबार वाले लोगों को शिक्षित कर सकते थे परन्तु उन्होंने यह लिखा कि मैं एड्स मरीज था, जबकि मैं केवल एच. आई. वी. पोजिटिव हूँ । यह भी लिखा गया कि मैं यौन सम्बन्धों में उन्मुक्त था और हिप्पियों के साथ समुंद्र तट पर घूमता था । मैं लोकहित का ख्याल रखने वाला नागरिक नहीं था । ये सभी बातें गलत थीं । मैंने कई वर्षों से स्वेच्छा से रक्तदान किया है । मुझे एक आरोग्य शाला में कैद करके रखा गया था । वहाँ मेरे साथ डाक्टर और अन्य स्वास्थ्यकर्मी जैसा व्यवहार करते थे, मेरे विचार से उसकी तुलना पुराने जमाने में कुष्ठ रोगियों के प्रति किये जाने वाले व्यवहार से की जा सकती है । उनका व्यवहार कठोर और जाहिलों वाला था । प्रतिदिन एक डाक्टर मुझे देखने आता था, परन्तु वह दरवाजे के बाहर ही खड़ा होकर पूछ लेता था कि मैं कैसा था । मैं बिल्कुल भला चंगा था और यही जवाब देता था । डाक्टर बिना कमरे के अन्दर कदम रखे ही लौट जाता था । बी कॉमपलैक्स और लिव–52 की गोलियाँ मेरे खाने के साथ भेज दी जाती थीं । जब मैंने कुछ पत्रकारों से इस बारे में बात की तो डाक्टरों का रवैया कुछ बदला। अब वे कमरे के अन्दर आते थे किन्तु स्टैथोस्कोप को मेरी छाती से छुआकर खिसक जाते थे ।

मैं कारावास में सड़ता रहा और एक महीने के बाद तक भी गोवा सरकार और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय यह निश्चय नहीं कर पाए कि एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों की गिरफ्तारी के कानून को कैसे बदला जाए, या मुझे कब तक आरोग्यशाला में रखा जाए । इस वक्त में मेरी माँ और दोस्तों को सरकारी तन्त्र से ग्लानि हो चुकी थी क्योंकि कोई भी अफसर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था और उन्हें दूसरे विभाग में भेज देता था । मेरे एक दोस्त ने बम्बई में, भा. स्वा. संगठन के डा. गिलाडा से सम्पर्क किया और उनसे प्रार्थना की कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और गोवा सरकार को शिक्षित करें । हम मामले को अदालत तक ले जाने की भी गम्भीरता से सोच रहे थे । हमने पूरी दुनिया से एड्स के बारे में स्वास्थ्य और गैर स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी एकत्रित की और सरकारी अफसरों को दी ताकि उनकी समझ बढ़ सके ।

मेरे पड़ौसियों ने गाँव वालों का समर्थन माँगने के लिए उनसे बात की । इसका उद्देश्य सरकार के सामने यह सिद्ध करना था कि मेरे गाँव वालें को मेरे घर भेजे जाने में कोई आपत्ति नहीं थी । हमें गाँववालों का जबरदस्त समर्थन मिला । गाँववासियों, पंचायत व सरपंच ने एक लिखित बयान में माँग रखी कि मुझको तुरन्त रिहा किया जाए । इस माँग को लेकर उन्होंने पैन्जिम में शाँतिपूर्वक जलूस निकाला । डा. गिलाडा, मेरी माँ तथा कुछ नज़दीकी मित्र गोवा विधान सभा के कुछ सदस्यों से मिले तथा अखबार वालों से बातचीत की । कभी-कभी हमें आशा की किरण भी नज़र आई । उस वक्त हमारा मनोबल बहुत बढ़ जाता था । मैं नहीं जानता कि मैंने अपना मानसिक सन्तुलन कैसे बनाए रखा । समय बिताने के लिए मैं चित्र बनाता था और पत्रिकाएँ इत्यादि पढ़ता था ।

मेरी माँ द्वारा कचहरी में दर्ज याचिका के कुछ नतीजे सामने आए । यह मेरे लिए छोटी किन्तु महत्वपूर्ण विजय थी । 64 दिन अलग रखने के बाद मुझे घर जाने की अनुमति मिली, परन्तु मुझे घर से न निकलने को कहा गया । आप मेरी खुशी का अन्दाजा नहीं लगा पाएँगे । आरोग्यशाला में निराशा होती थी । वहाँ बन्दूकधारी पुलिसकर्मी हमेशा मुझपर निगरानी रखते थे । पौष्टिक आहार नहीं मिलता था । कमरा मच्छरों से भरा था । इन सब परिस्थितियों से मेरा शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा था । जब मेरी माँ न्यायालय का अन्तरिम आदेश लेकर पहुँची तब सूर्यास्त हो चुका था । घर पहुँचने पर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि दोस्त व पड़ौसी मेरे स्वागत के लिए एकत्रित थे ।

इस देश में समय से न्याय मिलना बहुत मुश्किल है । मेरी माँ के याचिका दायर करने के 9 लम्बे महीनों बाद सुनवाई शुरू हुई । मेरे वकील आनन्द ग्रोवर ने मेरा केस निःशुल्क लड़ा । उन्होंने अच्छी तैयारी के साथ बहस की लेकिन फिर भी उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य महानिदेशालय के एक एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्ति को समाज से अलग करने के अधिकार का अनुमोदन कर दिया । सिर्फ इतना हुआ कि जून 89 में गोवा लोक स्वास्थ्य अधिनियम का संशोधन करके यह अलग करना, सरकार की मर्जी पर छोड़ दिया गया । पहले यह अलग करना जरूरी था । लेकिन अलग करने का कोई स्पष्ट आधार नहीं दिया गया । इससे

अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना स्पष्टीकरण दिये गिरफ्तार कर सकते हैं ।

मैं दावे से कह सकता हूँ कि मुझे गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ । अलग रखने का कोई तर्क नहीं था । दूसरे, अलग रखने से तनाव बढ़ता है । यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्ति का मानसिक सन्तुलन उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है । यदि मानसिक तनाव बढ़े तो विषाणु रोग प्रतिरोधक क्षमता को और भी नष्ट कर सकता है । इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्ति को किसी भी स्थिति में समाज से अलग नहीं करना चाहिये । न ही उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए । उसकी एच. आई. वी. स्थिति को गुप्त रखा जाना चाहिए और उसका प्रचार नहीं होना चाहिए । तीसरे जबरन अलग रखने से बाकी सब एच. आई. बी. पोजिटिव व एड्स मरीज भूमिगत हो जाएँगे । सरकार को मेरा एच. आई. वी. पोजिटिव होने का इसलिए पता चला क्योंकि मैं रक्तदान करता था । गोवा में कितने ही ऐसे लोग होंगे, जिनको शक है कि वे एच. आई. वी. पोजिटिव हो सकते हैं। यदि आप कानून बना दें जिससे ज़बरन जाँच की जाए और जबरन एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों को अलग रखा जाए तो निश्चय ही वे सभी लोग जो एच. आई. वी. पोजिटिव हो सकते हैं, भूमिगत हो जाएँगे । चिकित्सा सलाह से दूर और बिना यह जाने कि सुरक्षित यौन सम्बन्ध के तरीके क्या हैं, यदि आप भूमिगत हो जाएँ तो आप दूसरों में बीमारी फैला सकते हैं । साथ ही आपको यह भी नहीं पता चल पाएगा कि आप असल में एच. आई. वी. पोजिटिव हैं या नहीं । एड्स के लक्षण सामने आने के लिए छः माह से आठ वर्ष तक लग सकते हैं । इसलिए यदि आपके शरीर में विषाणु नहीं है तो आप बिना वजह से दुख व पीड़ा सहन करते रहेंगे ।

अलग करने से मेरी पूरी जिन्दगी पर प्रभाव पड़ा । मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा । मैं अपना आत्मविश्वास खो बैठा हूँ । मैं अपना मन किसी काम पर नहीं लगा पाता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं कि कल क्या होने वाला है । मैं किसी काम मे अपनी शक्ति लगाने से डरता हूँ क्योंकि मैं अपनी आशाओं को बढ़ाकर उन्हें टूटते हुए नहीं देखना चाहता ।

मैं पहले "वर्ल्ड वाइल्ड लाइफफण्ड, नेचर इन्डिया (गोवा)" में क्षेत्रिय अधिकारी नियुक्त था । अलग किए जाने के बाद मैंने चिकित्सा अवकाश के लिए अर्जी दी । अपनी सारी छुट्टियाँ खत्म करने के बाद मैंने एक वर्ष के लिए बिना वेतन का अवकाश लिया । उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मैं वापस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फण्ड कार्यालय गया । परन्तु अध्यक्ष, डा. एस. जी. वैद्य ने मेरे काम पर आने पर रोक लगा दी । उन्होंने मुझे अपने कमरे से निकाल दिया । अवकाश खत्म होने के बाद मुझे मालूम चला कि गोवा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फण्ड की समिति बदल गई थी । मैंने फिर से नौकरी पर वापस आने की कोशिश की । वर्तमान अध्यक्ष व सचिव ने बताया कि मैं काम पर वापस आ सकता था । मेरे एक वर्ष अवकाश पर रहने के दौरान उस पद पर अन्य व्यक्ति को स्थाई रूप से नियुक्त कर दिया गया था । उसकी पत्नी व उसने मेरे बारे मे गलत प्रचार करना शुरू किया । यह फैलाया गया कि एक एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्ति के दफ्तर में होने के कारण दफ्तर के अन्य कर्मचारियों ने दफ्तर में आना बन्द कर दिया था ।

9 अगस्त, सन् 90 में मुझे वर्ल्ड वाइल्ड, लाइफ फण्ड के क्षेत्रिय कार्यालय, बम्बई में बुलाया गया और कहा गया कि मैं समय से पूर्व अवकाश ले लूँ । अब तक मैं पूरी तरह से तंग आ चुका था । मैंने नौकरी से आजीवन अवकाश ले लिया। मैंने इस कार्यालय में छः वर्ष बहुत लगन और मेहनत से काम किया था । अब मुझको एच. आई. वी. पोजिटिव होने की वजह से निकाला जा रहा था । यदि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फण्ड का (जो जानवरों के हक की बात करते हैं) यह रवैया है तो कम शिक्षित नियोजकों का रवैया ऐसी स्थिति में कैसा होगा ? गोवा में मेरे लिए नौकरी पाना बहुत कठिन होगा क्योंकि यह एक छोटा प्रान्त है जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं । वहाँ का निवासी होने के कारण लोगों की हमदर्दी मेरे साथ है । मैं वापस काम पर जाना चाहता हूँ । अपनी जीविका के लिए कमाना चाहता हूँ । समाज का एक अंग बनना चाहता हूँ ।

मेरी रिहाई को डेढ़ वर्ष होने जा रहा है । मैं अपने को थोड़ा बहुत शाँत कर पा रहा हूँ । मैं इस कड़वी सच्चाई का भी सामना कर रहा हूँ कि कुछ लोग मुझसे परहेज करने लगे हैं । मैं जानता हूँ कि जनसाधारण में यह प्रचार होने में कुछ समय लगेगा कि साधारण सम्पर्क से एच. आई. वी. नहीं फैलता । लेकिन

मैं स्वंय को कितना भी शाँत रखने की कोशिश करूँ, मैं बहुत निराश व अकेला महसूस करता हूँ । यदि कल मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या कोई डाक्टर मेरा इलाज करेगा ? सरकार का दावा है कि उसने बहुत पैसा चिकित्सा कर्मचारियों पर खर्च किया है, ताकि वे एच० आई० वी० पोजिटिव व्यक्तियों और एड्स मरीजों की देखभाल कर सकें । फिर हम ऐसा क्यों सुनते हैं कि डाक्टर इन लोगों का इलाज करने से इन्कार करते हैं ?

महीने में एक बार मुझे प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में जाँच के लिए जाना पड़ता है । मैं बहुत भयभीत रहता हूँ क्योंकि यदि कोई कमी पाई गई तो मुझे फिर से अलग कर देंगे । अभी जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुझको बहुत अपमानित होना पड़ा । यदि एड्स के लक्षण सामने आए, तो तब मेरे साथ कैसा सलूक किया जाएगा ? साथ ही यदि मैं स्वास्थ्य केन्द्र में नहीं जाऊँ तो भी मुझे अलग किया जा सकता है । क्या सभ्य समाज को बीमार या बीमार होने वाले व्यक्तियों के साथ इस तरह से पेश आना चाहिए ? मैं सोचता हूँ कि मैं एच. आई. वी. ही नहीं बल्कि गोवा सरकार और स्वास्थ्य विभाग की अज्ञानता के विषाणु का भी शिकार हूँ । एच० आई० वी० कैसे फैलता है और कैसे नहीं, इसकी सही शिक्षा और जानकारी का प्रचार ही एकमात्र आशा का रास्ता हो सकता है ।

मैं अपने दिन बिता रहा हूँ, ईश्वर की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है । मुझको अपने परिवार, पड़ौसी और दोस्तों का स्नेह प्राप्त है । वे हमेशा मेरी मदद को तैयार हैं । अन्त में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, यदि आपको पता चले कि आपके किसी जानकार को एड्स है तो क्या आप उससे दूर भागेंगे? यदि वह आपका भाई या बहन हो तो" ?

डोमिनिक डिसूजा की यह आपबीती–एक व्यक्ति के साथ घटी केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ही नहीं, बल्कि यह सरकार की अमानवीय एड्स नीति का निचोड़ प्रस्तुत करती है । लेकिन क्या यह सिर्फ कुछ व्यक्तियों के मानवाधिकारों के हनन का प्रश्न है ? क्या यह नीति व्यापक जनहित में है ? क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है ? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए एड्स के बुनियादी तथ्यों का जानना जरूरी है ।

2 एड्स के बारे में सही और गलत धारणायें

"एक्वायर्ड इम्यूनो डैफिशियैन्सी सिन्ड्रोम" (एड्स) पूरी दुनिया मे स्वास्थ्य व मानवता के लिए एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है । विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 150 से अधिक देशों से 7 दिसम्बर, 1990 तक 3,07,379 एड्स के केस रिपोर्ट किये गये । संगठन का अनुमान है कि दुनिया में लगभग एक करोड़ लोग एच. आई. वी. पोजिटिव हैं । भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा अक्टूबर 85 से 1990 के अन्त तक 'अधिक जोख़िम वाले वर्गों' से 5,36,182 खून के नमूनों की जाँच की गई । इस जाँच के बाद 4,134 एच0 आई0 वी0 पोजिटिव पाये गये । एड्स रोग के 57 केस भारत में सामने आ चुके हैं ।

एड्स क्या है ?

एड्स एक विषाणु (एच0 आई0 वी0) के संक्रमण से फैलने वाला रोग है जो रक्त में पाये जाने वाली कोशिकाओं, टी लिम्फोसाईटो पर आक्रमण करके शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है । एड्स रोगियों को कुछ बीमारियाँ जैसे निमोनिया, कापोसी कैंसर आदि आसानी से लगने से उनकी मृत्यु इन बीमारियों से हो जाती है ।

एच0 आई0 वी0 जाँचः

एच0 आई0 वी0 के लिए दो प्रकार की जाँचे प्रचलित हैं, एलाइसा और वैस्टर्न ब्लौट । जाँच से विषाणुओं के प्रति रक्त में बनी एंटीबाडी पकड़ में आती है । एंटीबाड़ी 6 हफ्ते से 3 माह तक रक्त में आती हैं । कुछ में तीन वर्ष में आती है और किसी किसी में जीवन के अन्त तक भी नहीं आती । इसके अतिरिक्त एलाइसा जाँच एक बड़े अनुपात में झूठे पोजिटिव नतीजे देती है । दूसरी जाँच, वैस्टर्न ब्लौट काफी महंगी है । परन्तु यह जाँच एलाइसा के मुकाबले अधिक सही

नतीजे देती है ।

एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों में से केवल 20 % को 5 साल मे और 50% को दस साल में एड्स रोग होता है । एड्स होने से पहले वे हर प्रकार से स्वस्थ और सामान्य रहते हैं । इन तथ्यों को अनेक बार डाक्टर जानबूझकर नजरअन्दाज करते हैं । मई–जून, 1990 तामिलनाडू में सैंकड़ों महिलाओं पर केवल एलाइसा जाँच की गई और इसी बिना भरोसे की जाचँ के आधार पर उन्हें एड्स ग्रस्त घोषित कर दिया गया और डाक्टरों की यह "खोज" अखबारों की सुर्खियां बन गई । बाद में वैस्टर्न ब्लौट टैस्ट करने पर पाया गया कि प्रथम जाँच के अधिकतर नतीजें गलत थे गलत नतीजों का एक कारण था, सभी महिलाओं का रक्त नमूना एक ही सुई से लिया जाना (सी.ए.आर.सी., बुलेटिन, अक्तुबर–दिसम्बर, 1990)

रोग के लक्षण व चिन्हः–

अधिकतर एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों को कोई तकलीफ नहीं होती । कुछ को 'एड्स सम्बन्धित रोग' होता है जिसके लक्षण व चिन्ह इस प्रकार हैं– भूख व वजन कम होना, बुखार, दस्त लगना, थकावट महसूस होना, रात में पसीना आना, चमड़ी में दाग बन जाना और लिम्फ ग्रन्थियों का सूजना । कुछ में एड्स रोग हो जाता है । अमरीका में एड्स मरीजों में "न्युमोसिस्टिक केरेनी न्यूमोनिया" और कापोसी कैंसर अधिक होता है । एड्स रोगियों में हरपीज, टी. बी. इत्यादि आसानी से लगने का भय रहता है । एड्स के गम्भीर रोगियों में एच. आई. वी. मस्तिष्क व उसकी नसों में, नजर में तथा याददाश्त पर भी असर कर देता है ।

एच. आई. वी. कैसे नहीं फैलता ? एच.आई.वी. एक नाजुक विषाणु है जो शरीर से बाहर ताप, क्लोरिन, साबुन और पानी इत्यादि से नष्ट हो जाता है । पिछले दिनों अ.भा.आ.चि. संस्थान में कुछ एच. आई. वी. पोजिटिव लोगों को यह कहकर लौटा दिया गया कि एण्डोस्कोपि नहीं की जा सकती क्योंकि एण्डोस्कोप को स्टरलाईज करना संभव नहीं है, जबकि ऊपरलिखित आसान तरीकों से ही ऐसा कर पाना संभव है ।

एच. आई. वी. का संचार

एच. आई. वी. से बचाव के लिए यह समझ लेना जरूरी है कि इसका संचार कैसे होता है । यह निम्नलिखित रास्तों से फैल सकता है ।

1. एच. आई. वी. संक्रमित रक्त या रक्त से बनी दवाई का किसी व्यक्ति पर उपयोग । इसी प्रकार बिना स्टरलाईज की गई सुई का इस्तेमाल या दुर्घटनावश रक्त से संपर्क ।

जनवरी–फरवरी 1989 में बम्बई स्थित रक्त से बनी दवाईयाँ बनाने वाली एक कम्पनी द्वारा निर्मित दवाईयाँ एच. आई. वी. पोजिटिव पाई गईं । दुर्भाग्यवश कुछ मरीजों पर ये इस्तेमाल की जा चुकी थीं ।

2. असुरक्षित (बिना कन्डोम इस्तेमाल किये) यौन सम्बन्ध । एच. आई. वी. काफी मात्रा में नर वीर्य व स्त्री के पानी में पाये जाते हैं ।

3. संक्रमित माँ से शिशु को जन्म के पूर्व, संभवतः प्रसव के समय और प्रसव के शीघ्र बाद ।

हालांकि ऊपर लिखे गये रास्तों के अतिरिक्त एच. आई. वी. फैलने का और कोई तरीका नहीं है फिर भी इस विषय में फैलाये गये मिथकों को देखते हुए यह रेखांकित करना जरूरी है *कि एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों को गले लगाने, उन्हें चूमने, उनसे हाथ मिलाने, पास खाँसने अथवा छींकने से अन्य व्यक्तियों को कोई खतरा नहीं होता । इसी प्रक.र उनके शौचालय का उपयोग करने, उनके द्वारा इस्तेमाल तौलियों, चादरों, बर्तनों इत्यादि का उपयोग करने से भी किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का भय नहीं है । थूक में विषाणुओं की संख्या न के बराबर होती है । यह मच्छरों के द्वारा काटे जाने पर भी नहीं फैलता ।*

डाक्टर व अन्य स्वास्थ्यकर्मी एच.आई.वी. पोजिटिव व्यक्तियों की देखभाल करते समय केवल साधारण सावधानियाँ बरतकर अपना बचाव कर सकते हैं ।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तमिलनाडू गोवा और मणिपुर में एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों को जेल में डालना गलत कार्यवाही थी । इसी प्रकार फरवरी 1990 से अ. भा. आ. चि. संस्थान में एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों को भर्ती न करना एक गलत कदम था । गोवा के केस में सन् 1990 में एक व्यक्ति को नौकरी से निकाल देना निंदनीय है ।

एड्स के तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुये इस रोग के बारे में गलत धारणाओं पर ही एड्स बिल 1989 आधारित है । आइये इस बिल पर एक नजर डालें ।

3 संसद और एड्स बिल

18 अगस्त 1989 को "एड्स बचाव बिल" चुपके से राज्य सभा में पेश किया गया । यह "इण्डियन लैपर्स एक्ट 1898" की तरह ही एक काला विधेयक है और यदि यह पास हो गया तो कुष्ठ रोगियों के समान ही एड्स और एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों के भाग्य पर ताला लग जायेगा। इस बिल द्वारा नागरिकों की स्वतंत्रता और मूल अधिकार छीनने का भय है । एड्स बिल द्वारा तथाकथित अधिक जोखिम वाले वर्गों पर अत्याचार और अधिक बढ़ जायेंगे । एड्स बिल में एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों के इलाज व पुनर्स्थापन की बात गम्भीरता से नहीं कही गई है ।

अधिक जोखिम वाले वर्ग– एक मिथक

एड्स किसी विशेष समूह से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों को ही नही, बल्कि किसी को भी हो सकता है । यदि कोई व्यक्ति अधिक जोखिम वाले काम करता है या अधिक जोखिम वाली स्थिति का सामना करता है (जैसे कि अस्पतालों, दवाखानों में दूषित सुई लगना, ब्लड बैंको द्वारा दूषित खून या दवाई बनाने वाली कम्पनियों द्वारा दूषित खून से बनी दवाईयों की आपूर्ति तो उसे यह संक्रमण लग सकता है । जबकि यदि एक "अधिक जोखिम वाले वर्ग" का व्यक्ति जरूरी

सावधानियाँ बरतता है तो उसे एड्स का खतरा नहीं होगा । उदाहरण के लिए मुँह से नशे की दवाई लेने वाले व्यक्ति को एड्स का कोई अतिरिक्त खतरा नहीं है । यदि नस में सुई से दवाई लेने वाले व्यक्ति एक दूसरे की सुई बिना स्टरलाइज किये इस्तेमाल नहीं करते तो उन्हें भी कोई खतरा नहीं होगा । इस प्रकार एक वेश्यावृत्ति में महिला या समालिंगी व्यक्ति यदि कन्डोम (निरोध) का इस्तेमाल करता है तो उसे भी एड्स का कोई खतरा नहीं होगा । इसके विपरीत एक शादीशुदा और वफादार औरत का इस संक्रमण से बचना असंभव ही होगा यदि उसका पति एच. आई. वी. पोजिटिव है और वे कन्डोम का इस्तेमाल न करते हो । इसलिए एड्स के नाम पर कुछ समूहों को बदनाम करना गलत है । लेकिन कुछ स्वंयसेवी संस्थायें इस मिथक का बेशर्मी से लाभ उठाना चाहती हैं । बम्बई की एक स्वयं सेवी संस्था "भारतीय स्वास्थय संगठन" के डा. विजय ठाकुर ने 7–12–90 को 37 देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में बम्बई में "अन्तर्राष्ट्रीय एड्स सभा" में बोलते हुए कहा "हमें विदेशी अनुदान प्राप्त करने के लिए वेश्याओं को निशाना बनाकर पेश करना चाहिये"।

एड्स बिल क्या है?

बिल की चौथी धारा में कहा गया है कि डाक्टरों को प्रशासनिक विभागों को कानूनन रूप से इत्तला देनी होगी कि उनकी नजर में कोई व्यक्ति एच. आई. वी. पोजिटिव या नशा लेने वाला तो नहीं है । आवश्यक नहीं कि सब नशा लेने वाले सुईयों का इस्तेमाल करते हों और सुई से नशा लेने वाले एक दूसरे की सुई का मिलकर इस्तेमाल करते हों । इसलिए इन सबको एक ही वर्ग में डालना और तंग करना गलत है ।

धारा पांच के अनुसार डाक्टर किसी भी व्यक्ति की जबरन खून की जाँच कर सकते हैं और एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्ति को अस्पताल में अलग वार्ड में या अन्य किसी जगह (दूसरे शब्दों में जेल) में अलग करके रख सकते हैं ।

धारा छह में "अधिक जोखिम वाले वर्गों" की जबरन जांच करने की बात की गई है ।

धारा सात में प्रशासन को "अन्य क़दम उठाने के अधिकार" दिये गये हैं। यह कुछ भी करने की बेलगाम ताकत अधिकारियों को दे देगा जैसे कि किसी एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्ति का नाम व पहचान समाचार पत्रों में छपवाना या वेश्यावृत्ति में महिलाओं की जबरन नसबन्दी (ऐसा एक सुझाव महिला व बाल विकास विभाग की सचिव ने 14 जून, 1990 को स्वंयसेवी संगठनों की मिटिंग के दौरान रखा।)

धारा 9 में एच0 आई0 वी0 पोजिटिव व्यक्तियों के सम्पर्क में आये सभी व्यक्तियों की जाँच करने की बात कही गई है।

नागरिक अधिकारों का उल्लंघन–

उपरोक्त धाराओं के क्रियान्वयन में सम्बन्धित व्यक्ति की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। स्वास्थ्य अधिकारी पर इस जांच के बारे में लोगों को पूरी जानकारी देने या उसके परिणाम को बताने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों के नाम व पहचान गुप्त रखने का जिक्र नहीं है।

सरकार की कानूनन जिम्मेदारी बननी चाहिये कि एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्ति की पहचान को गुप्त रखें। बिल के दूसरे अध्याय में स्वास्थ्य अधिकारियों को अधिकाधिक ताकत दे दी गई है परन्तु कोई जवाबदेही नहीं रखी गई है। किसी व्यक्ति पर इस बिल के दूरपयोग से कोई अत्याचार कर दे तो उस पर कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। यदि कोई मकान मालिक, नेता या नौकरी देने वाला नियुक्त अधिकारी को सूचना दे दे कि फलॉ व्यक्ति को एच. आई. वी. पोजिटिव होने का संदेह है तो वह उस व्यक्ति को काफी कठिनाई में डाल सकता है।

कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, सरकार ने अपने कर्तव्य से मुँह मोड़ाः

हाँलाकि बिल में कहा गया है कि वह एड्स मरीजों के पुनर्स्थापन के लिए है लेकिन मरीजों के इलाज के बारे में, उनके नागरिक अधिकारों का उल्लंघन न हो, इसके बारे में वह चुप है। बिल में डाक्टरों के वेतन ओर एच. आई. वी. जाँच सुविधा तथा उपकरणों के बारे में ही विस्तार से लिखा गया है।

बिल आने से पहले जी. बी. रोड की महिलाओं और स्वंयसेवी कार्यकर्त्ताओं ने एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों की पेंशन के समर्थन में अधिकारियों को पत्र लिखें थे, पर बिल में पेंशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया । एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों को काम करने के स्थान पर, स्कूल, युनिवर्सिटी, अस्पताल और घर में किसी प्रकार के भेदभाव का सामना न करना पड़े, इस बाबत बिल में कोई प्रावधान नहीं है । इससे स्पष्ट है कि एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों/एड्स मरीजों को इस बिल से किसी भी प्रकार का बचाव नहीं मिल पायेगा ।

अस्पतालों, ब्लड बैंकों व रक्त से बनी दवाईयाँ बनाने वाली कम्पनियों के पास इतने साधन होते हैं कि वह रक्त की एच. आई. वी. के लिए जाँच कर सकें । बिल में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन पर मुकदमा चले । बल्कि एक गरीब पेशेवर रक्तदाता पर सारी जिम्मेदारी डाल दी गई है कि वह रक्त देने से पहले हर बार अपने खून की जाँच करवाये । यह भी कहा गया है कि पता लगने पर एच. आई. वी. पोजिटिव रक्तदाताओं पर कार्यवाही की जा सकती है ।

एड्स निवारण का सही तरीका–सही जानकारी का प्रचार–

एड्स महामारी के दो पहलू हैं । पहला एड्स रोग की महामारी, दूसरा "अधिक जोखिम वाले वर्गों" के प्रति भय, घृणा व भेदभाव की महामारी ।

हमारे देश में यौन सम्बन्धों के बारे में हमेशा चुप्पी की नीति अपनाई जाती है और ऐसी धारणा फैलाई जाती है जैसे कि यहां यौन सम्बन्धों में नैतिकता का ही बोलबाला है और हम नैतिकता की वजह से ही इस बीमारी से बचे रहेंगे । काफी संख्या में पाये जाने वाली समलैंगिक यौन सम्बन्ध बनाने वाली आबादी के अस्तित्व से ही इंकार किया जाता है । हमें यह समझना होगा कि एड्स सामान्य, जिम्मेदार लोगों का रोग है जिनको यदि सही और सरल भाषा में जानकारी दी जाये तो वे अवश्य एच. आई. वी. के खिलाफ सावधानियाँ बरतेंगे । ऐसी कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है जो "अधिक जोखिम वाले वर्गों" को "जनसाधारण" से अलग करती हो । कोई भी व्यक्ति अधिक जोखिम वाली स्थिति का सामना कर सकता

है । एच0 आई0 वी0 की रोकथाम के सही और प्रभावी कदम इस प्रकार होंगे।

1. सही और असरदार जानकारी का प्रचार 2. स्वैच्छिक और सहमति से जाँच की व्यवस्था 3. जाँच के परिणाम को गुप्त रखने की गारंटी

विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मानना है कि जबरन जाँच नहीं होनी चाहिये। इसका यह भी मानना है कि एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों को अलग रखना, जेल में डालना या उसके प्रति भेदभाव करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

स्पष्ट है एड्स बिल खुले आम चिकित्सा आचार संहिता का उल्लंघन करता है । बिल द्वारा एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों को अलग रखने या कैदी बनाने को कानूनी रूप से वैधता प्राप्त हो जायेगी । *एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों का नाम गुप्त रखने की गारँटी न होने के कारण ये लोग भूमिगत हो जायेंगें, इससे सही जानकारी नहीं मिल पायेगी और रोकथाम के उपाय कामयाब नहीं हो पायेंगे ।*

एड्स बिल के विरोध में मीटिंग

इस बिल का विरोध करने के लिए 12 अक्टूबर 1989 को जे. डब्ल्यू. पी. द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई । इस मीटिंग में ग्रुप के तीन सदस्यों, जे. डब्ल्यू. पी. की प्रतिनिधि और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की उपनिदेशिका डा. प्रेमा रामाचन्द्रन ने अपने वक्तव्य रखे । डा. रामाचन्द्रन का मानना था कि डा. पेंटल का यह सुझाव कि "विदेशियों के साथ यौन सम्बन्ध पर प्रतिबन्ध लगाया जाये", सही था । "ऐसे उत्तेजक बयानों द्वारा हमें लोगों को नींद से जगाना जरूरी था," उन्होंने बताया । उनका यह भी कहना था कि "अनुसंधान अध्ययन केवल अधिक जोखिम वाले वर्गों पर ही संभव है "। यह बिल भा. चि. अ. परिषद् और अ0 भा. आ. चि. संस्थान के विशेषज्ञों की सलाह से तैयार किया गया है । ऐसा लगता है कि यह डा. पेंटल और डा. मालवीय जैसे दिमागों की उपज है।

जहाँ तक ग्रुप सदस्यों की जानकारी है, किसी भी सांसद ने इस बिल का विरोध नहीं किया । 8 अगस्त, 1990 को ग्रुप द्वारा एक याचिका राज्य सभा

की याचिका समिति को भेजी गई । इसमें बिल की खामियों को बताते हुए उसे वापस लेने को कहा गया था ।

अब यह बिल संशोधन के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा गया है जिसे संसद के मानसून सत्र के पहले दिन रिपोर्ट देने को कहा गया है । इस समिति का संपर्क पता है ।

श्री एम. एस. लाथर,
अध्यक्ष, "एड्स बचाव बिल 89" पर संयुक्त संसदीय समिति,
कमरा नं. 538, संसद अनैक्सी, नई दिल्ली–110001.

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने पिछले कुछ वर्षों में एड्स की जिस प्रकार से गलत जानकारी फैलाई है उसके बाद ऐसे काले कानून का आना कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिये । आइये भा. चि. अ. प. के एड्स अभियान की नीति और तरीकों पर एक नजर डालें ।

नोटः– उपरोक्त एड्स बिल पर ग्रुप सदस्य एवम् वकील सिद्धार्थ गौतम के विचार एक पत्रिका "द लाइयर्स" में अक्टूबर, 89 अंक में और विस्तार से छपे ।

4 भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा अभियान

एड्स "अधिक जोखिम वाले वर्गों" पर अत्याचार का एक और बहाना बन गया है । ऐसे ही चौदहवीं सदी में जब यूरोप में प्लेग महामारी फैली तो यहूदियों और "डाइनों" को दोषी बताते हुए मारा और जलाया गया । 1920 के आसपास जर्मनी की आर्थिक समस्याओं के लिए हिटलर ने यहूदियों, साम्यवादियों, समलिंगीयों, जिप्सी और अपंग लोगों को दोषी ठहराया तो नतीजा हुआ यूरोप में युद्ध और मौत के शिविर ।

भारत में एड्स की सारी चर्चा वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित न होकर यौन सम्बन्धों की नैतिकता पर आधारित है । एड्स मरक विज्ञान के स्थान पर यौन सम्बन्धों की नैतिकता पर प्रवचन दिये जा रहे हैं । डा० पेंटल के अनेक बयानों से यह साफ जाहिर है ।

एड्स के बहाने औरतों की निंदा

डा. पेंटल औरतों को दोषी मानते हैं "क्योंकि दो वर्ष पूर्व भारतीय महिलाओं ने विदेशियों के साथ यौन सम्बन्ध रखना बंद नहीं किया । इस वजह से वे एड्स फैला रही हैं" । वेश्यावृत्ति में महिलाओं को एड्स फैलाने का दोष दिया गया है जबकि उनको खुद बीमारी लगने की चिंता नहीं की गई । डाक्टर व अखबार वाले प्रचारित कर रहे हैं कि वेश्यावृत्ति में महिलायें एड्स फैलाव के लिए एक गंभीर खतरा बनकर सामने आई है ।

दोषी ठहराने वाले इस अभियान में इस बात को नजरअन्दाज कर दिया गया है कि विज्ञान के अनुसार "एक औरत से मर्द " के मुकाबले "एक मर्द से औरत" को संक्रमण लगने की संभावना कई गुणा ज्यादा है । 1990 में सान फ्रांसिसको में एक अन्तर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अध्ययन ने आंकड़ों द्वारा ये स्पष्ट किया । एच. आई. वी. पोजिटिव महिलाओं के संग सोने वाले 58 मर्दों में से केवल एक को संक्रमण लगा जबकि वे लगातार असुरक्षित यौन सम्बन्ध रखे थे दूसरी ओर इस अध्ययन में 20% महिलओं को एच. आई. वी. पोजिटिव मर्दों से यह संक्रमण लगा (टाइम्स आफ इण्डिया, 29–6–90)

इसके बावजूद भा. चि. अ. परिषद और अ. भा. आ. चि. संस्थान द्वारा जी. बी. रोड की महिलाओं पर पुलिस की मदद से जबरन जाँच की गई जैसे कि ये महिलायें ही बीमारी की जड़ है । इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि इन्हें खुद यह बीमारी लगने का अधिक खतरा है और इन्हें बचाने के लिए आवश्यक शिक्षा और मदद दी जाये ।

डा. पेंटल का विचार है "दिक्कत यह है कि एड्स के बारे में काफी तहलका नहीं है, यही कमी है" (इण्डिया टूडे, 31–7–88) । उनके सुझाव में

"विदेशियों के संग यौन सम्बन्ध पर पाबन्दी लगाई जाये" आगे उनका कहना है "विदेशियों के साथ यौन सम्बन्ध रखने का हक किसी को नहीं हैं, यदि वह देश को तबाही की तरफ ले जाये" ।

17 जुलाई, 90 को भय फैलाने के उद्देश्य से डा0 पेंटल ने गैर वैज्ञानिक बयान दिया "बम्बई की हर तीसरी घरेलू महिला को 1995 तक एड्स की बीमारी हो जायेगी" ।उन्होंने यह बयान बम्बई की वेश्यावृत्ति में कुल महिलाओं और उनके साथ होने वाले कुल यौन सम्बन्धों की संख्या के आधार पर बहुत ही बचकाना हिसाब लगाकर दिया ।

इस बयान पर जबरदस्त नागरिक रोष का अंदाजा नई दिल्ली के डाक्टर एल. देबाब्राता राय के एक पत्र से किया जा सकता है । पत्र में लिखा है "डा. पेंटल को अपने पद से हट जाना चाहिये क्योंकि वे इस पद के योग्य नहीं है । वह एड्स बचाव के रचनात्मक कार्यों में बाधा पहुँचा रहे हैं । उनके गैरजिम्मेदाराना और खिल्ली उड़ने वाले गैर वैज्ञानिक कथनों से लोगों में भय फैला है और उससे कमजोर वर्गों की स्त्रियों पर अत्याचार बढ़ गये हैं "। (टाइम्स आफ इण्डिया, 26–7–90) कुछ हफ्तों बाद भा. चि. अ. प. ने अपने बयान बदलकर फिर कहा "बम्बई की हर तीसरी गर्भवती महिला को 1995 तक एड्स की बीमारी हो जायेगी"।

शक पैदा करने वाले आँकड़ेः–

भा. चि. अ. प. बम्बई में वेश्यावृत्ति में महिलाओं के 30% एच. आई. वी. पोजिटिव होने के आंकड़ें प्रचारित कर रहा है । यह आँकड़े संदेहयुक्त हैं। बम्बई के पत्रकार सूत्रों के अनुसार भा. चि. अ. प. के स्टाफ को तीन महीनों में एक–एक महिला पर तीन–तीन बार एच. आई. वी. जाँच करते हुए देखा गया है । इसका उद्देश्य आँकड़ों को बढ़ाचढ़ाकर अनुसंधान के लिए अधिक अनुदान राशि प्राप्त करना था । दक्षिणी बम्बई में डा. जे. के. मनियार म्युनिसिपैलिटी का रतिज रोग क्लीनिक चलाते हैं । इन्होंने भा. चि. अ. प. के आंकड़ों को गलत बताते हुए कहा "बम्बई की केवल 7% वेश्यावृत्ति में महिलायें एच. आई. वी. पोजिटिव हैं" । डा. मनियार जबरन और तोड़मरोड़कर एच. आई. वी. जाँच के तरीकों मे विश्वास नहीं करते ।

अ. भा. आ. चि. संस्थान के "बायोस्टेटिक्टिक्स" विभाग के प्रोफोसर के. रामाचन्द्रन ने बम्बई में क्रिश्चियन मैडीकल कालेज, वैलोर द्वारा 21–23 फरवरी 1991 को आयोजित एक सम्मेलन में बताया कि भा. चि. अ. प. का सर्वे का तरीका बिल्कुल गलत है । भा.चि.अ.प. द्वारा एकत्रित आँकड़े इतने बेतरतीब और अवैज्ञानिक है कि उनके आधार पर एच.आई.वी. पोजिटिव व्यक्तियों की कुल संख्या का अनुमान लगानाया किसी वर्ग विशेष में एच.आई.वी. पोजिटिव के प्रतिशत का अनुमान ग़लत है । न ही इनके आधार पर भविष्य का कोई चित्रण सम्भव है । इसलिए जो भी आँकड़े भा. चि. अ. प. प्रचारित कर रही है वे वैज्ञानिक मापदण्ड पर खरे नहीं उतरते ।

बड़े–बड़े वैज्ञानिकों द्वारा निरन्तर अवैज्ञानिक आँकड़े प्रचारित करना इन प्रश्नों को पैदा करता है ।

¥ क्या इन आँकड़ों को किसी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन में मान्यता मिली है ?

¥ क्या इन आँकड़ों को किसी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका में स्थान प्राप्त हुआ है ?

¥ क्या जिम्मेदार चिकित्सा अधिकारी एड्स के बारे में गलत जानकारी फैलाकर लोगों में भय पैदा करने का अधिकार रखते हैं ? क्या उनको इस बात के लिए माफ किया जा सकता है ?

"अधिक जोखिम वाले वर्गों" के विरुद्ध दुश्प्रचार

एच. आई. वी./एड्स को किस प्रकार "अधिक जोखिम वाले वर्गों" के विरुद्ध दुश्प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है यह सी. ए. आर. सी. (सैंटर फार एड्स रिसर्च एन्ड कन्ट्रोल), जिसकी संपादकीय समिति के अध्यक्ष डा0 पेंटल हैं, द्वारा जारी किये गये पोस्टरों से साफ जाहिर होता है ।

एक पोस्टर में तीन लाल बत्तियाँ दिखाई गई हैं ये बत्तियाँ कोठों को दर्शाती हैं । इनके ऊपर तितलियाँ मंडराती दिखाई गई हैं और यह संदेश दिया

गया है कि वेश्यागामी पुरूष एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराने वाली तितली की तरह है । हर बत्ती के ऊपर एक संख्या लिखी है जो उस कोठे में जाने वाले पुरूषों की संख्या बताती है । ज्यादा संख्या वाली बत्तियाँ ज्यादा लाल दिखाई गई हैं । पोस्टर का संदेश है कि वेश्यागमन करने वालों को रतिज रोग लग सकते हैं जिससे उनका और उनके परिवार का जीवन चौपट हो सकता है ।

एक और पोस्टर समलिंगी व्यक्तियों के बारे में है । यह कहता है कि ऐसे सम्बन्ध "अप्राकृतिक" और "स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक" हैं । इससे बहुत सी बीमारियाँ लगने के कारण उन व्यक्तियों की "जिंदगी नरक बन जाती है"।

इन पोस्टरों में दिये गये संदेश वैज्ञानिक दृष्टि से अप्रासांगिक हैं । अ. भा. आ. चि. संस्थान के एक मनुष्य–विकास–शास्त्री ने इन पोस्टरों का विश्लेषण करते हुए लिखा है :–

पहला पोस्टर– वेश्यावृत्ति में महिलाओं को एड्स लगने का खतरा ज्यादा है । यह नहीं कि उन्हें यह हवा से मिलता है और वे उसे अपने ग्राहकों में फैला देती हैं । वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह पाया गया है कि मर्दों से औरतों को यह विषाणु फैलने की संभावना अधिक होती है । हमें यह सोचना चाहिये कि हमारे कहने से ग्राहक कोठों पर जाना बन्द नहीं कर देंगे । हमें इस सदियों पुराने पेशे के अस्तित्व को स्वीकार करके अभागी महिलाओं और उनके ग्राहकों की मदद के लिए जानकारी बाँटनी चाहिये । हमें यह प्रचार करना होगा कि ये व्यक्ति कन्डोमों के प्रयोग की आदत डालें ।

दूसरा पोस्टर– एच. आई. वी. और एड्स के संक्रमण का "अप्राकृतिक, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक", "जिन्दगी नरक बन जाती है" जैसे कथनों से कोई सम्बन्ध नहीं है । ऐसी टिप्पणियों का प्रयोग अनुचित है । सभी समलैंगिक यौन सम्बन्ध जोखिम वाले नहीं होते हैं जैसे कि एक दूसरे का हस्तमैथुन करना सारी दुनिया में एक सुरक्षित व्यवहार माना गया है । आज तक ऐसा कोई, अध्ययन नहीं हुआ जिससे पता चलता हो कि समलैंगिक सम्बन्धों से आदमी की जिन्दगी

नरक बन जाती है । इसके विपरीत इसके काफी प्रमाण हैं कि स्त्री और पुरूषों के बीच भी मलद्वार के यौन सम्बन्ध पाये जाते हैं ।

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एड्स रोगियों को दोषी ठहराने वाले, नैतिकतावादी प्रचार से इनके प्रति समाज में लाँछन की भावना पनपी । डाक्टर भी इन्हें लाँछित करने में पीछे क्यों रहते ? अ० भा० आ० चि० स० जैसे शीर्षस्थ अस्पताल के डाक्टरों ने एड्स रोगियों को भरती न करने, उनकी जाँच और इलाज से मना करने का गलत उदाहरण पेश करके देश के अन्य अस्पतालों को भी ऐसा करने के लिए उकसाया है ।

5 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान एवम् अन्य चिकित्सा संस्थानों की भूमिका

2. जनवरी, 1990 को अ. भा. आ. चि. संस्थान में एक अफ्रीकी दूत को भरती किया गया । उसका 15 जनवरी को आप्रेशन होना था जो उसकी जान बचाने के लिए आवश्यक था । किन्तु इस संस्थान के डाक्टरों ने उसके एच. आई. वी. पोजिटिव होने के कारण यह आप्रेशन करने से इंकार कर दिया । 20 जनवरी को उसकी मृत्यु हो गयी ।

टाइम्स आफ इण्डिया के एक पत्रकार ने सबसे पहले इस घटना पर एक रिपोर्ट दी जो अखबार में 19 जनवरी, 90 को प्रथम पृष्ठ पर छपी । अगले दो हफ्तों के दौरान सरकार की तरफ से खुलेआम जो झूठे और विरोधाभासी बयान दिये गये उनसे अ. भा. आ. चि. संस्थान के वरिष्ठ डाक्टरों, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों का एड्स मरीजों के इलाज के प्रति रवैये का जो खुलासा होता है, प्रस्तुत है उसकी एक झलक ।

सरकारी बयान	सत्य
"अ. भा. आ. चि. स. के कर्मचारी एड्स रोगियों की देखभाल के लिए पूर्णतया प्रशिक्षित नहीं है । (टा. आ. ई. 19–1–90)	अ. भा. आ. चि. स. के चिकित्सा शास्त्र विभाग के वरिष्ठ डाक्टर व नर्स ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से 6 हफ्ते का विशेष प्रशिक्षण पाया जिसमें एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्ति की देखभाल करने की जानकारी हासिल की (इ. एक्स. 23–1–90)
2. एक एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्ति पर एण्डोस्कोपी करने से 2 लाख रू. का उपकरण बेकार हो गया, इस कारण बाकी एच0 आई0 वी0 पोजिटिव व्यक्तियों पर एण्डो–स्कोपी करने से इंकार किया गया (टा. आ. ई. 19–1–90)	एक बार एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्ति पर इस्तेमाल किये गये एण्डोस्कोप को बाद में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है । उसे केवल उन रसायनों द्वारा स्टरलाइज किया जा सकता है जो आसानी से किसी भी अस्पताल में उपलब्ध होते हैं । यह जानकारी केन्द्रिय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो द्वारा प्रकाशित निर्देश पुस्तिका में दी गई है ।
3. वि. स्वा. स. की ओर से कोई निर्देश नहीं हैं जो बताते हो कि एड्स मरीजों के शव के साथ कोई क्रिया करते समय क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिये (अ. भा. आ. चि. स. के तत्कालिक निदेशक डा. बी. एन. टंडन का बयान – स्टेटसमैन–, 31–1–90	वि. स्वा. स. द्वारा स्पष्ट निर्देश दो पुस्तिकाओं में दिये गये हैं । बताया गया है कि वही सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता है जो एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्ति के उपचार के लिए जरूरी है । इन पुस्तिकाओं के नाम हैं "एड्स सीरिज तीन" और "संक्रमण की रोकथाम" और भी निर्देश पुस्तिकायें उपलब्ध हैं (i) "एड्स स्वास्थ्य

कर्मचारियों के लिए एड्स से बचाव के लिए जानकारी" अक्टूबर 88 में केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो द्वारा यह पुस्तिका प्रकाशित की गई ।

2. "एड्सः स्वास्थ्यकर्मी व्यक्तियों के लिए एड्स से बचाव के लिए जानकारी" सन् 1987 में यह पुस्तिका राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा जारी की गयी ।

4. वि. स्वा. सं. के नवीनतम निर्देश भी वहीं हैं जो 87–88 में थे (टा. आ. इ., 8–2–90)। यह आशा की जाती है किसी भी रोग का उपचार करते वक्त नये निर्देश उपलब्ध होने तक मौजूदा निर्देशों का पालन किया जाये ।

5. "रेजिडेंट डाक्टर एसोसिएशन" द्वारा बैठाई गई एक जाँच समिति ने पाया कि शव को न तो निर्देशानुसार प्लास्टिक थैली में लपेटा गया था और न ही उस पर पहचान पट्टी लगी थी ।

4. हाँ, हमारे पास 87–88 के निर्देश उपलब्ध थे, लेकिन वह अब पुराने हो चुके हैं" । (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के डा0 ए0 के मुखर्जी का बयान (8–2–90).

5. दूत का शव न केवल अच्छी तरह लपेटा गया था बल्कि उस पर एच. आई. वी. पोजिटिव की पहचान पट्टी भी लगाई गई थी । (इण्डियन एक्सप्रैस, 3–2–90)

जब अफ्रीकी दूत को मौत के घाट उतारा जा रहा था, उस दौरान भारतीय चिकित्सा संघ, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, चुप्पी साधे था । भा. चि. अ. प., जो पिछले कई वर्षों से औरतों को एड्स फैलाने के लिए दोषी ठहराने का बढ़चढ़कर प्रचार कर रहा था, इस घटना पर चुप रहा ।

पाखंडी जाँच–

27 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्री ने अ. भा. आ. चि. स. का इस घटना की जांच करने के आदेश दिये । जाँच रिपोर्ट मे दोष अफ्रीकी दूत के परिवार वालों पर डाल दिया गया । 2 फरवरी को अ. भा. आ. चि. स. और लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज (यहाँ पर शव संलेपन के लिए, बिना यह बताये कि मरीज एच० आई० वी० पोजिटिव था, धक्का दिया गया था) को दोषमुक्त बताया गया। बाद में स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में घोषणा की कि शव का संलेपन करते समय कोई भी कमी नजर नहीं आई ।

फिलहाल इस जाँच रिपोर्ट का एक अंश ही सार्वजनिक किया गया है। दो ज़रूरी सवालों का जवाब नहीं दिया गया ।

¥ मरीज का आप्रेशन, जो उसकी जान बचाने के लिए जरूरी था, क्यों नहीं किया गयां ?

¥ जिन्होंने अपनी खाल बचाने के लिए गलत ब्यान दिये उन दोषी चिकित्साकर्मियों और वरिष्ठ डाक्टरों पर क्या कार्यवाही होनी

चिकित्सा समुदाय का सामाजिक उत्तरदायित्व–

'इस प्रकार की घटनाओं से देश के जाने माने डाक्टरों व चिकित्सा संस्थानों की विश्वसनियता और उत्तरदायित्त्व के प्रति सवाल खड़े होते हैं । जब अ. भा. आ. चि. स. द्वारा अफ्रीकी दूत कॉंड पर गलत बयानी की जा रही थी, उस वक्त भा० चि० अ० प० राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान और केन्द्रिय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो– ये सभी संस्थायें, जिनको सच्चाई ज्ञात थी और जिनका सारा खर्चा करदाताओं के पैसों से चलता है, उस वक्त चुप्पी साधे थे ।

ग्रुप सदस्य इस बात की कड़ी निंदा करते हैं कि अफ्रीकी दूत की पहचान (नाम, उम्र, पद व देश) को अखबारों में छापा गया । ऐसा छपने से मृत व्यक्ति के परिवारजन और दुखी होते हैं । इससे समाज का भी कोई भला नहीं होता।

ऐसी स्थितियों में गोपनीयता रखना आवश्यक है । समाचार पत्रों का यह कदम आचार संहिता के खिलाफ था । मृत के परिवारजनों ने दुखी होकर एक पत्रकार को कहा "आप हमें बार–बार तंग करोगे तो हम आपके अखबार के खिलाफ विदेश मंत्रालय में केस दायर करेंगे" (टा. आ. इ. 5–2–1990)

सच तो यह है कि पत्रकारों को अफ्रीकी दूत का नाम, पता बताने का काम चिकित्साकर्मियों ने ही किया । यह दुख की बात है कि डाक्टर, (समाज में उन्हें प्राप्त) बहुत ऊँचे दर्जे का लाभ तो उठाते हैं किन्तु समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व महसूस नहीं करते । देश में आपात स्थिति के दौरान जब लाखों लोगों की जबरन नसबंदी की गई तो दिल्ली के केवल एक ही डाक्टर ने इसका विरोध किया । सन् 88 में दिल्ली में हैजा महामारी फैलने से 1500 लोगों की जानें गयीं । महामारी के दौरान 40 लाख लोगों को हैजे के टीके लगाये गये जबकि यह सिद्ध हो चुका है कि महामारी के दौरान टीका लगाना न केवल बेकार है बल्कि खतरनाक भी है । सरकारी व गैर–सरकारी चिकित्सा समुदाय ने टीका लगाने के अभियान में भूमिका निभायी । केवल कुछ लोगों ने इस अपराधभरी कार्यवाही के खिलाफ आवाज उठायी ।

अ. भा. आ. चि. संस्थान द्वारा एड्स मरीजों के लिए दरवाजे बंद –

अफ्रीकी दूत की मृत्यु के पश्चात् अ. भा. आ. चि. संस्थान ने एड्स व एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों की भर्ती पर रोक लगा दी । 14 मार्च ,1990 को स्वास्थ्य मंत्री ने लोक सभा में बताया, "अ. भा. आ. चि. संस्थान ने कुछ समय के लिए 6–2–90 से एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों को भर्ती करना बंद कर दिया है ताकि इस दौरान सुविधाओं में सुधार किया जा सके । ..... अ. भा. आ. चि. संस्थान को एड्स वार्ड खोलने व उपकरण खरीदने के लिए 20 लाख रूपये की राशि मंजूर की गई है ।"

8–7–90 को इण्डियन एक्सप्रैस में एक लेख में छपा "एड्स मरीजों की दुर्दशा, उनके लिए अस्पताल के दरवाजे बंदः– "विनीत व उसका भाई जन्म से ही हिमोफिलिक हैं । बार–बार रक्त चढ़ाने या रक्त से बनी दवाईयाँ देने से वह

एच. आई. वी. संक्रमित हो गये ।.....विनीत को सैनिक अस्पताल से वापस भेज दिया गया और अ. भा. आ. चि. संस्थान ने भी उसे भर्ती करने से मना किया जबकि इस संस्थान को स्वास्थ्य मंत्रालय से एड्स वार्ड खोलने के लिए एक खास अनुदान प्राप्त हुआ है । स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ डाक्टरों को एड्स के इलाज व अनुसंधान प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा । इसके बावजूद अ. भा. आ. चि. संस्थान के डाक्टर, नर्स व तकनीशियन एड्स मरीजों की देखभाल करने से इंकार कर रहे हैं । पिछले दो माह के दौरान विनीत का रक्त नमूना बिना जाँच करे प्रयोगशाला से वापस भेज दिया गया है । नर्सों ने उसकी हंसी उड़ाई हैं । डाक्टरों ने उससे दूर रहने को कहा है"।

इन तथ्यों को देखते हुये किसी भी नागरिक के मन में यह सवाल उठ सकते हैं ।

- 20 लाख रू0 के अनुदान का क्या हुआ ?
- देश में एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों, एड्स मरीजों के इलाज के लिए कौन जिम्मेदार हैं ?
- डाक्टरों के गैर जिम्मेदाराना रवैये से विनीत और रोहित जैसे कितने और व्यक्ति कष्ट पा रहे हैं ?
- दोषी चिकित्साकर्मियों के खिलाफ क्या कदम उठाये गये हैं ?
- यदि चिकित्सा संस्थापन ही एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों या एड्स मरीजों के प्रति गलत धारणायें फैलायेंगे तो उनका भविष्य क्या होगा ?

26 फरवरी 1991 को "जनसत्ता" में यह खबर छपी । नई दिल्ली नगरपालिका के मोतीबाग स्थित अस्पताल में "थैलेसिमिया" से पीड़ित 6 बच्चों की जाँच कराने से दो बच्चों को एच.आई.वी. पोजिटीव पाया गया । इस बीमारी से पीड़ित बच्चों को महीने में लगभग दो बार रक्त चढ़ाना पड़ता है । अगले कुछ दिनों में जाँच करायें जाने पर इस अस्पताल के "थैलेसिमिया वार्ड" से उपचार पा रहे 17 बच्चों को एच.आई.वी. पोजिटीव पाया जा चुका था (टा.आ.ई. 15

मार्च, 1990)

इन बच्चों को रक्त चढ़ाने के लिए रक्त "भारतीय रैड क्रास सोसाइटी" द्वारा दिया जाता है । अधिकतर बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि उन्होंने कभी भी "रैड क्रास सोसाइटी" के अतिरिक्त और कहीं से रक्त नहीं लिया था। लेकिन भारतीय रैड क्रास सोसाइटी ने इस अपराधिक कार्यवाही की नैतिक जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया ।

अस्पताल में पोजिटीव बच्चों की रक्त–मिलान बन्द कर दी गई क्योंकि लैबोरैट्री कर्मचारियों को सुरक्षित साधन उपलब्ध नही कराये गये थे । अभिभावकों ने पत्रकार से इस डर से बात नहीं की कि कहीं उनके बच्चों का इलाज बंद न कर दिया जाय (टा.आ.ई. 15.3.91) इस कांड के दौरान अधिकारियों के ब्यान अ.भा.आ.चि. संस्थान में जनवरी 1990 में अफ्रीकी दूत की मृत्यु के समय जारी किये गये ब्यानों से बहुत भिन्न नहीं थे ।

'एड्स भेदभाव विरोधी आन्दोलन' के सदस्यों ने, 18 मार्च 1991 को नई दिल्ली नगर पालिका के मुख्यालय 'पालिका भवन' के समक्ष धरना आयोजित किया, तथा न.दि.न.पा. के मुख्य प्रशासक, रमेश चन्द्र को दिए गए ज्ञापन में निम्नलिखित प्रश्न उठाए :

- किस कारण से, ये बालक एच.आई.वी. के विषाणुओं से संक्रमित हुए ?
- रैड क्रॉस सोसाइटी के गैरजिम्मेदाराना रवैये के कारण, हुए इस हादसे के लिए क्यों न उन पर कानूनी कार्यवाही की जाए ?
- एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्तियों की उचित देखभाल के लिए, सरकार द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी न. दि. न. पा. के केन्द्रों को क्यों नहीं दी गई तथा उनका पालन क्यों नहीं हुआ ?
- क्या सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मियों को बच्चों के एच.आई.वी. संक्रमित होने की सूचना दी गई थी? ऐसा कब किया गया ?

क्या चिकित्सा समुदाय का भय सच्चा है ?

केन्द्रिय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की निर्देश पुस्तिका कहती है "स्वास्थ्य कर्मियों को एच. आई. वी. संक्रमित होने का खतरा न के बराबर है । हाँलाकि काफी बार स्वास्थ्यकर्मियों को एड्स मरीजों पर इस्तेमाल की गई दूषित सुई गलती से चुभी है फिर भी उनमें से बहुत ही कम एच. आई. वी. संक्रमित हुए ।

"लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि स्वास्थ्यकर्मियों को कोई खतरा नहीं है परन्तु यदि सही सावधानियाँ बरती जाये तो खतरा इतना कम है कि उसे अनदेखा किया जा सकता है ।

"भाग्यवश एड्स की संक्रामकता हैपेटाइटिस–बी (जिससे एक तरह का जानलेवा पीलिया होता है और जो बिल्कुल एच. आई. वी. की तरह फैलता है।) से सौ गुणा कम है । एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों व एड्स मरीजों के इलाज के वक्त वही सावधानियां बरतनी चाहिये जो हैपेटाइटिस–बी के लिए बरती जाती हैं "।

अ. भा. आ. चि. संस्थान के भूतपूर्व डाक्टर राजीव सिंधवानी संपादक के नाम एक पत्र में लिखते हैं "मैं यूरोप मे काम कर रहा हूँ जहाँ एड्स एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है । यह सच है कि एड्स मरीजों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों को कुछ खतरा ज़रूर है पर अभी तक समूचे विश्व में केवल 20 व्यक्तियों को दूषित सुई लगने से या दूसरे रास्तों से एच. आई. वी. लगा है। लेकिन इसके साथ ही नीति बनाने वालों ओर डाक्टरों को यह समझना चाहिये कि वह भय और रूढ़ियों में न बहें और मरीज को एक पिड़ित इंसान के रूप में देखें जिसे देखभाल की जरूरत है ।

"न्यूयार्क में एड्स के बारे में व्यापक निर्देश तैयार किये गये हैं जो फायदे मंद हो सकते हैं । न्यूयार्क में डाक्टरों के लिए एड्स मरीजों के इलाज से मना करना गैर कानूनी है । साथ ही वहां के अस्पतालों ने स्वास्थ्यकर्मियों के बचाव के लिए बहुत से साधन अपनाये हैं"। (टा. आ. ई. 20,2,1990)

दुनियांभर में स्वास्थ्यकर्मियों को जो एच. आई. वी. संक्रमण हुआ है उसमें कोई भी मामूली संपर्क से नहीं हुआ । बल्कि सभी गैर मामूली दुर्घटना के फलस्वरूप हुए । विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आम सावधानियाँ बरती जाती हैं जैसे कि दस्ताने पहनना, मुँह पर पट्टी बांधना, प्रयोगशाला में आवश्यक सावधानियाँ बरतना इत्यादि, तो एच. आई. वी. से बचा जा सकता था ।

ब्रिटिश रायल कालेज आफ नर्सिंग, ब्रिटिश मैडिकल एसोसियेशन और अमेरिकन मैडिकल एसोसिएशन जैसे संगठनों ने अपने एड्स नीति बयान देते हुए कहा है कि एच. आई. वी. और एड्स के आधार पर इलाज करने से मना नहीं किया जा सकता ।

अदालतों ने भी मरीजों के हक में फैसले दिये हैं । हाल ही में सान फ्रांसिस्को के जनरल अस्पताल की एक नर्स ने याचिका दर्ज की कि एड्स वार्ड में काम करने को बाध्य किये जाने से उसके व्यक्तिगत हकों का उल्लंघन होता है । अदालत ने उसके खिलाफ फैसला देते हुए यह निर्देश दिया कि वह एड्स वार्ड में काम जारी रखे । (द० इन्डिपेन्डेन्ट 15–4–90)

डाक्टरो, अपना आचरण सुधारो–

स्वास्थ्यकर्मियों का एड्स से बचाव के लिए अस्पतालों में हमेशा सावधानी बरतना ही एकमात्र तरीका है । यदि यह न किया जाय तो कर्मचारियों को खतरा हमेशा बना रहेगा क्योंकि वे कभी भी अनजाने में एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्ति (जो अस्पताल में एड्स से असम्बन्धित बीमारी से आ सकता है) के संपर्क में आ सकते हैं । इसलिए एड्स मरीजों के लिए अलग से वार्ड खोलने का तर्क सही नहीं है । ध्यान दिया जाये कि अ० भा० आ० चि० स० में एड्स मरीजों के लिए अलग वार्ड का हव्वा खड़ा करने से पहले देश भर में एड्स मरीजों का इलाज़ सामान्य वार्डों में ही किया जाता था ।

"मैडिको फ्रेन्ड्स सर्कल (बम्बई ग्रुप)" के डाक्टर मोहन देशपाण्डे ने बम्बई के डाक्टरों के 30 एच. आई. वी. पोजिटिव मरीजों का इलाज न किये जाने के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर विरोध प्रकट करते हुए 'द इण्डिपेन्डेन्ट' समाचार पत्र

में लिखा "पुराने जमाने में डाक्टरों के ऐसे रवैये को माफ किया जा सकता था क्योंकि उस समय जानकारी का अभाव था । परन्तु आज यह एक मानवाधिकार का विषय बन गया है । वि. स्वा. स. का कहना है कि एड्स मरीजों व एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों का इलाज करने से मना नहीं किया जा सकता । डाक्टरों, नर्सों और तकनीशियनों को इस बीमारी के डाक्टरी आचार संहिता के और वैज्ञानिक तथ्यों को समझना जरूरी है । महाराष्ट्र मैडिकल कौंसिल, जो कि डाक्टरों की नियमित करने वाली संस्था है, को चाहिये कि उन सभी डाक्टरों पर कड़ी कार्यवाही करे जो एड्स मरीजों का इलाज करने से मना करते हैं । एम. एम. सी. को उन डाक्टरों के गलत व्यवहार पर भी कार्यवाही करनी चाहिये जो एच. आई. वी. पोजिटिव मरीजों से जोख़िम उठाने के नाम पर पैसे ठगते हैं"।

एच.आई.वी. पोजिटिव व्यक्तियों व एड्स रोगियों के प्रति भेदभाव करने का विरोध–

ग्रुप द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी, 1990 को आ. चि. अ. प. के दफ्तर के बाहर एक धरने का आयोजन किया गया । यह धरना एड्स नीति पर विरोध व्यक्त करने व अ. भा. आ. चि. स. में एड्स मरीजों के साथ भेदभाव होने के विरोध में किया गया । ग्रुप ने इस दिन को धरने के लिए चुना ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि विज्ञान गरीबों की भलाई के लिए है न कि उनकी तबाही करने के लिए । इस दिन भा. चि. अ. प. अपने मुख्यालय मे जोर शोर से विज्ञान दिवस मना रहा था । डा0 पेंटल को एक ज्ञापन दिया गया । चार घंटे तक ग्रुप सदस्य एकत्र हुए लोगों को अपना नजरिया समझा रहे थे । ग्रुप सदस्यों को इस सवाल का सामना करना पड़ा कि "वेश्यायें और एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्ति तो बुरे हैं, उन्हें अस्पताल में क्यों भर्ती किया जाये? सरकार उन्हें कोई भी मदद क्यों करे ? वे तो पथभ्रष्ट हैं, उन्हें ऐसी बीमारी क्यों नहीं लगनी चाहिये ?

इस सब को देखते हुए निम्न सवाल पैदा होते हैं ।

¥ नैतिकता के आधार पर क्या "अधिक जोखिम वाले वर्गों" पर कलंक लगाया जा सकता है ?

¥ भा० चि० अ० प० का एड्स अभियान क्या जनहित में कहा जा सकता है ?

¥ क्या "अधिक जोखिम वाले वर्गों" के साथ सलाह मशवरा किया गया था?

जबकि देश का शीर्षस्थ चिकित्सा संस्थान अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा है, भारतीय चिकित्सा परिषद् जो कि मैडिकल व्यवसाय को नियमित करने वाली संस्था है, क्या कदम उठा रही है ? क्या वह अपना फर्ज बिना डर या पक्षपात के निभा पा रही है ?

6 भारतीय चिकित्सा परिषद् की भूमिका

कुछ समाचार पत्र एड्स के मुद्दे पर सनसनीखेज लेख छापकर गलत आचरण का उदाहरण पेश करते हैं । ऐसे ही चिकित्सा समुदाय के कुछ एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों व एड्स मरीजों का इलाज करने से इंकार करने वाले सदस्य डाक्टरी पेशे की आचार संहिता के उल्लंघन के दोषी हैं ।

इन्डियन एक्सप्रैस के 2 अप्रैल, 90 के अंक में यह समाचार छपा, "एम. एम. सी. (महाराष्ट्र मैडीकल कौंसिल) ने डा. आई. एस. गिलाडा को गलत आचरण का दोषी माना है । डा. गिलाड़ा बम्बई के जे. जे. अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी हैं तथा इन्डियन हैल्थ ओरगेनाइजेशन के महासचिव हैं । उन्होंने स्वर्गीय रजनीश की बिना जाँच किये उनकी बीमारी के बारे में सार्वजनिक रूप से बयान दिये थे"।

स्वर्गीय रजनीश की निजी सचिव, माँ योगा नीलम, ने एम. एम. सी. के पास एक शिकायत दर्ज की जिसमें कहा गया कि आचार्य रजनीश के स्वास्थ्य की सच्चाई को जानने के लिए डा. गिलाडा ने कोई कोशिश नहीं की, हाँलाकि डा. गिलाडा को इन डाक्टरों के नाम व पते मालूम थे जो रजनीश का इलाज कर रहे थे । महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को एक पत्र में डा. गिलाडा नें कहा था, " आचार्य को एड्स के लक्षण हैं इसलिए सरकार द्वारा उनकी व उनके पूना के आश्रम निवासियों की जांच करायी जानी चाहिये" ।डा. गिलाडा ने अपनी सफाई में कहा, "सरकार को पत्र लिखने से पहले आचार्य रजनीश या उनके डाक्टर

से संपर्क करने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि मैंने जाँच की माँग केवल इसलिए की थी कि कहीं रजनीश को एड्स तो नहीं" ।

लेकिन क्या मैडीकल कौंसिलों को हरकत में आने के लिए पीड़ित व्यक्ति के परिवार वालों या अन्य सम्बन्धियो का शिकायत भेजना जरूरी है ? ग्रुप सदस्य 19 अक्टूबर, 90 को एम० सी० आई० (मैडीकल कौंसिल आफ इन्डिया) की उपसचिव डा० एम० सचदेव से मिले । उसके बाद 8 नवम्बर 90 को लिखे एक ज्ञापन में भी सचिव, एम० सी० आई० का ध्यान चिकित्सा समुदाय के सदस्यों द्वारा देशभर में एच० आई० वी० पोजिटिव/एड्स मरीजों को लेकर हो रहे डाक्टरी आचार संहिता के उल्लंघनों की तरफ खींचा । इससे पहले 28 फरवरी, 1990 को भा० चि० अ० प० को दिये गये ज्ञापन की एक प्रति भी एम० सी० आई० को भेजी गई थी । लेकिन एम० सी० आई० के कान पर जूँ तक न रेंगी । ग्रुप सदस्यों ने "विश्व एड्स दिवस" के अवसर पर 30 नवम्बर 1990 को एम० सी०आई० के दफ्तर के बाहर एक धरने का आयोजन किया । ग्रुप सदस्य, अरूण भण्डारी और जे० एस० कोहली ने कार्यवाही का संचालन किया । धरने में भाग लेने वालों, खासतौर से अंकुर संस्था के अनेक सदस्यों ने अपने वक्तव्यों में अपने–अपने अनुभवों पर आधारित डाक्टरों के गलत आचरण के बीसियों उदाहरण दिये । इस अवसर पर एक पर्चा भी बाँटा गया जिसमें एम० सी० आई० की जिम्मेदारी और कर्त्तव्य की ओर जनता का ध्यान खींचा गया था । एड्स विषय पर लिखे नारों की तख्तियाँ लगाई गई थीं । भाग लेने वालों ने एम० सी० आई० को नींद से जगाने के लिए काफी जोशोखरोश से नारे लगाये । 8 नवम्बर 90 को दिये गये ज्ञापन की एक प्रति को दुबारा एम० सी० आई० को दिया गया, लेकिन आज तक डाक्टरों के गैर जिम्मेदाराना रवैये से पीड़ित एड्स मरीज/ एच० आई० वी० पोजिटिव व्यक्ति एम० सी० आई० के नींद से जागने की इन्तजार में हैं ।

पथभ्रष्ट डाक्टर–

डाक्टरी आचरण संहिता के उल्लंघन के एड्स सम्बन्धित कुछ उदाहरण–

Y 2 मई, 1990 के "इन्डिपैन्डेंट" के अनुसार उस समय बम्बई में तीस के करीब एच० आई० वी० पोजिटिव ऐसे व्यक्ति थे जिनके गुर्दे बेकार होने की वजह से उन्हें तत्काल और बार–बार हीमोडायलिसिस की जरूरत थी । कोई भी सरकारी या गैरसरकारी अस्पताल जैसे नानावती, जसलोक, जे० जे० और के० ई० एम० उनका हीमोडायलिसिस करने को तैयार नहीं था । इन व्यक्तियों

को एच0 आई वी0 का संक्रमण, हीमोडायलिसिस के साथ जो खून चढ़ाया जाता है, उससे हुआ था ।

¥ अ0 भा0 आ0 चि0 सं0 में एड्स पीड़ित अफ्रीकी दूत की जान बचाने के लिए जरूरी आप्रेशन करने से इन्कार किया गया और 20 जनवरी, 90 को उनकी मौत हो गई ।

¥ बहुत से एच0 आई0 वी0 पोजिटिव व्यक्तियों की एण्डोस्कोपी अ0 भा0 आ0 चि0 संस्थान में नहीं की गई । (टा0 आ0 इ0, 19–1–90)

¥ बम्बई से "छुड़ाई गई" 824 वेश्यावृत्ति में महिलाओं को मई, 90 में जब मद्रास ले जाया गया तो अस्पताल के डाक्टरों ने उनके हाथ से ओ0 पी0 डी0 पर्ची छूने से भी इंकार किया । औरतों को कहा गया कि वे पर्ची को मेज पर रख दें ।

¥ बम्बई से "मुक्त कराई गई" महिलाओं की एच.आई.वी. जाँच के लिए एक ही सुई से सबका रक्त लिया गया जिससे बहुत ज्यादा महिलाओं के एच.आई.वी. पोजिटिव होने का संदेह हुआ । (सी.ए.आर.सी. बुलेटिन, अक्तुबर–दिसम्बर, 1990)

¥ पिछले दिनों आसाम में एड्स का प्रथम मरीज़, गोहाटी मैडिकल कालेज, अस्पताल में, जाँच के दौरान पाया गया । अस्पताल के रेजिडेंट डाक्टरों और नर्सों में तहलका मच गया, तथा उन्होंने धमकी दी कि यदि मरीज को वार्ड से निकाला नहीं गया तो वे इस्तीफा दे देंगे । मरीज़ को संक्रामक रोगो के अस्पताल में भेज दिया गया, जहाँ 3 अक्टूबर, 90 को उसकी मौत हो गई । (बिलटज 13.10.90)

¥ मैडीकल कालेज अस्पताल में डाक्टरों ने वहाँ एड्स मरीजों हेतु एक केन्द्र खोलने का विरोध किया है । (स्टेट्समैन 30.5.90)

¥ विनीत और उसका भाई जन्म से ही हीमोफिलिक हैं, बार–बार रक्त चढ़ाने से या रक्त से बनी दवाइयाँ देने से वह एच0 आई0 वी0 संक्रमित हो गए । विनीत को सैनिक अस्पताल से वापस भेज दिया गया और अ0 भा0 आ0 वि0 संस्थान ने भी उसे भर्ती करने से मना किया जबकि अ0 भा0 आ0 वि0 संस्थान को स्वास्थ्य मंत्रालय से एड्स वार्ड खोलने के लिए एक विशेष अनुदान प्राप्त हुआ है । अ0 भा0 आ0 चि0 संस्थान

के चिकित्सा-शास्त्र विभाग के डा0 वाई0 एन0 सिंह कुछ समय से उनके घर में इलाज कर रहे थे । (इन्डियन ऐक्सप्रैस 8–7–90)

तीन माह के एक नवजात-शिशु ने बम्बई के जे. जे. अस्पताल में चमड़ी विभाग में अपने प्राण त्याग दिए । उस वक्त कोई भी डाक्टर व नर्स वार्ड में मौजूद नहीं थे । इसी बालक को 23 जुलाइ के दिन अस्पताल में भर्ती करने से इंकार किया गया था । बच्चे को डा. गिलाडा के प्रयासों के बाद ही भर्ती किया गया । बच्चे की मौत के बाद डा. गिलाडा ने मौत की जाँच कराने की माँग रखी है । यदि अधिकारी ज़िम्मेदारी से काम करते तो शायद, बच्चे की जान बच सकती थी । (फ्री प्रैस जरनल, 6–8–90)

15 फरवरी, 1990 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल अस्पताल में एक 28 वर्षीय घरेलू नौकर बाँऐ पैर में ज़ख्म (अल्सर) के कारण भर्ती किया गया । उसको एच. आई. वी. पोज़िटिव पाए जाने के कारण उसका आप्रेशन करने से मना कर दिया गया । डा0 जे0 के0 मनियार के अनुसार निश्चेतक डा0 मुले ने बिना किसी कारण बेहोशी की दवा देने से इन्कार किया । हालाँकि शल्य चिकित्सक डा0 डाबर और नर्सें सावधानी बरतकर आप्रेशन के लिए तैयार थे। (द इन्डिपैन्डेन्ट 2–5–90)

अस्पताल के अधीक्षक डा0 बोरूलकर की कोशिश भी नाकाम रही । जब एक ग्रुप सदस्य डा0 मुले से मिले तो उनका कहना था कि "एच. आई. वी. पोज़िटिव व्यक्तियों के इलाज करते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ बताने वाली कोई निर्देश पुस्तिका उपलब्ध नहीं है" ।

प्रान्तीय मैड़ीकल कालेज इम्फाल ने एड्स मरीजों की भरती पर रोक लगा दी है । अस्पताल के एक वरिष्ठ अधीक्षक के एक वरिष्ठ अधीक्षक का कहना है कि "यह एक छूत का रोग है और स्वास्थय कर्मी बहुत डरते हैं ।" (संडे 30 दिसम्बर से 5 जनवरी 1990)

पीड़ित व्यक्ति के लिए कुछ न्याय के रास्तेः–

इन परिस्थितियों में मरीजों के पास न्याय पाने के लिये कुछ विकल्प हैं। 11 जून, 1986 के स्टेटसमैन में लिखते हुए, ग्रुप सदस्य डा० पी० एस० साहनी ने तीन उपाय सुझाएः– डाक्टरी आचरण के साधारण उल्लंघन पर जाँच की माँग की जा सकती है। सचिव, एम० सी० आई०, कोटला रोड, नई दिल्ली तथा प्रान्तों की मैडिकल कौंसिलों को अधिकार है कि वह सम्बन्धित डाक्टरों पर कार्यवाही करे। कौंसिल उनको चेतावनी नोटिस भेज सकती है। उनका नाम भी मैडिकल रजिस्टर से हटा सकती है।

"दूसरे, यदि मरीज़ पर लापरवाही की गई हो या गलत इलाज किया गया हो तो मरीज या उसके सम्बन्धी मुआवजे हेतु कचहरी में दीवानी मुकदमा कर सकते हैं। वादी पर हमेशा लापरवाही को सिद्ध, करने की जिम्मेवारी होती है। लेकिन यदि आप्रेशन के दौरान मरीज के पेट में डाक्टर अपना उपकरण भूल जाए और उसकी वज़ह से मरीज की मृत्यु हो जाए– इस प्रकार की स्पष्ट स्थितियों में वादी को लापरवाही सिद्ध करने की जरूरत नहीं।

"अन्त में, यदि मरीज की मौत दण्डनीय लापरवाही से हुई हो तो डाक्टर पर दफ़ा 305, आई० पी० सी० के तहत फौजदारी मुकदमा दायर किया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि हर सरकारी अस्पताल में एक अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए जो कि अस्पताल में लापरवाही से हुई हर मौत की जाँच करे। पीड़ित परिवार जो कानूनी रास्ता नहीं अपना सकते, उन्हें अधिकारी की जाँच के आधार पर ही सरकार की और से मुआवजा मिलने का प्रावधान होना चाहिए। इस अधिकारी को दोषी कर्मचारियों पर टिप्पणी करने का अधिकार होना चाहिए।

एम० सी० आई० होश में आए –

मरीज और उसके परिवार के सदस्यों को न्याय पाने की प्रक्रिया में व्यावहारिक व भावनात्मक कठिनाइयाँ आती हैं, इसलिए एम० सी० आई० स्वंय ही दोषी डाक्टरों, मैडिकल कालेजों व अस्पतालों के खिलाफ कार्यवाही क्यों न करे ?

यदि ऊपर प्रमाणित चिकित्सा आचरण उल्लंघनों के उदाहरणों पर कोई कार्यवाही न हो तो एड्स बचाव का भविष्य ही खतरे में पड़ जाएगा । क्या हम सच में उम्मीद कर सकते हैं कि एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्ति या एड्स मरीज अस्पतालों में आएँगे जबकि वह साफ देख रहे हैं कि उनको तंग किया जाएगा और उनसे अछूत जैसा व्यवहार किया जाएगा ।

खेद का विषय है कि जिन व्यक्तियों को रक्त चढ़ाने या रक्त से बनी दवाइयों से एच. आई. वी. संक्रमण हुआ है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है । एम० सी० आई० की भाँति ड्रग कन्ट्रोलर आफ इण्डिया (डी० सी० आई०) भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब रहा है ।

7 कहाँ है ड्रगकन्ट्रोलर आफ इण्डिया ?

दूषित रक्त से बनी दवाइयों का मुद्दा –

जनवरी–फरवरी, 89 में उस समय तहलका मच गया जब "ड्रग कन्ट्रोलर ऑफ इण्डिया" द्वारा रक्त से बनी दवाइयों में एच. आई. वी. पाया गया । इसका उत्पादन बम्बई की एक गैर सरकारी दवा उत्पादक कम्पनी, भारत सीरम्स एण्ड वैक्सिन्स लि० ने किया था । इसकी रिपार्ट अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका 'संडे' के 26 फरवरी–5 मार्च, 1989 के अंक में छपी । डी० सी० आई० ने हर प्रान्त के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह दूषित रक्त से बनी दवाइयों को जब्त कर ले । कुछ ने कार्यवाही की, पर कुछ ने नहीं । केरल में दवा नियंत्रक ने जगह–जगह जाँच–पड़ताल करने वाली टोलियाँ भेजीं । जून 88 से ऐसी दवाईयों की 103 शीशियाँ केरल पहुँच चुकी थीं । पर जब तक निर्देश मिलते, तीन शीशियों की दवा मरीजों को दी जा चुकी थी । देश में आठ कम्पनियाँ रक्त से बनी दवाइयाँ बनाती हैं । मद्रास के अपोलो हस्पताल के डा० बी० बोबजी के अनुसार जो सावधानियाँ वे आज के दिन इस्तेमाल कर रहे हैं, वह पर्याप्त नहीं हैं ।

रक्त से बनी दवाइयाँ बनाने में सुरक्षा उपायों की आवश्यकता:–

भा० चि० अ० परिषद् के भूतपूर्व महानिदेशक, डा० वी० रामालिंगास्वामी का सुझाव है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को चाहिए कि वह पता लगवाए कि एंटीबोडी के लिए पोजिटिव पाई गई दवाइयों में विषाणु भी हैं अथवा नहीं ? उनका कहना है: "अमेरिका में रक्त से बनी दवाइयाँ बनाने वाली कम्पनियों को कहा गया है कि वहाँ उन सभी तरीकों का प्रयोग करें जिनसे विषाणु दवाइयों में न आ सके । यदि भारत में, सुरक्षित तरीके इस्तेमाल किए जाते तो दवाइयों में विषाणुओं के आने की सम्भावना नहीं होती । इसलिए यह आवश्यक है कि जाँच की जाए कि दवाइयों में विषाणु तो नहीं हैं । इस जाँच के लिए जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य मंत्रालय वि० स्वा० संगठन की मदद ले सकता है । रक्त और रक्त से बनी दवाइयों की सही जाँच से न सिर्फ एड्स का खतरा, बल्कि साथ–साथ हैपेटाइटिस–बी का खतरा भी दूर हो सकता है ।" (इन्डियन एक्सप्रैस 15–3–89)

बड़ी दवा कम्पनियों को खुली छूट –

और अब सरकारी प्रतिक्रियाओं को देखा जाए । दूषित रक्त से बनी दवाइयों का मुद्दा उठने के कुछ ही माह बाद सरकार ने संसद में एड्स विधेयक को रखा। आश्चर्य नहीं कि इस विधेयक में यह प्रावधान नहीं रखा गया कि जो अस्पताल ब्लड बैंक और बड़ी दवा कम्पनियाँ जो रक्त से बनने वाली दवाइयाँ बनाती हैं, और एच. आई. वी. को फैलाती हैं, उन पर फौजदारी मुकदमा किया जाए या उनका नाम काली सूची में डाला जाए ।

इस प्रकार बड़ी कम्पनियों को छूट मिल गई । 28 फरवरी, 90 को "राष्ट्रीय विज्ञान दिवस" के अवसर पर ग्रुप सदस्यों द्वारा आयोजित धरने के दौरान एक सात सूत्री माँग पत्र दिया गया था, जिसमें एक मांग ये रखी गई कि सरकार को चाहिये कि जाँच के सही तरीकों को स्थापित कर के लागू कराये और दोषी ब्लड बैंक और रक्त से बनी दवाइयाँ बनाने वाली कम्पनियों पर जुर्माना किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया । इसके विपरीत एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों (जैसे कि वे जिनको नशीली दवाओं के सेवन करने से एच. आई. वी. संक्रमण हुआ है) को अपराधी घोषित करके जेल में डाला जा रहा है ।

8 पहले से ही लाँछित लोगों को और लाँछित करना–

भारत में मणिपुर ऐसा पहला राज्य है जहां एड्स महामारी का खतरा पैदा हो गया है । भा० चि० अ० परिषद् के अनुसार नागालैंड और मणिपुर राज्यों में जून, 90 तक 910 एच. आई. वी. पोजिटिव केस पाये जा चुके हैं । (इन्डियन एक्सप्रेस 27 नवम्बर, 1990)

नशीली दवाइयों का नस द्वारा प्रयोग करने वाले इन केसों में 93% पुरूष हैं । इन आँकड़ों से आई० सी० एम० आर० के आँकड़ों पर आधारित अनुमानों की पोल खुल जाती है । इससे इस भ्रम का भी खण्डन होता है कि हमारे देश में सुई द्वारा नशे की दवाई लेने से एच. आई. वी. का खतरा अमरीका और थाइलैंड से कम है ।

मणिपुर की कुल आबादी 18 लाख है, जिनमें 15 से 35 वर्ष की उम्र वाले युवा करीब एक लाख हैं तथा बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं । इनमें से काफी लोग (30 हजार के करीब) नशीली दवाओं का सेवन करते हैं । इनमें से 80% सुई का प्रयोग करते हैं, इनमें बहुत से युवा उच्च आय वर्ग वाले परिवारों से हैं।

मणिपुर में यह स्थिति कैसे आयी ? कारण है इसकी बर्मा, थाइलैण्ड और लाओस से नज़दीकी । इन देशों में अफीम की बड़े पैमाने पर खेती होती है और हेरोइन बनती है । सन् 1980 से पश्चिमी देशों ने दवा के अवैध व्यापार पर सख़्ती बढ़ा दी है । इस कारण भारत दवा तस्करों के लिये एक आसान रूट बन गया है । नेता, पुलिस, अफसर और तस्कर का एक गठजोड़ नज़र आता है। 352 कि. मी. लम्बी मणिपुर–बर्मा सीमा पर निगरानी के लिए केवल पाँच या छः सीमा सुरक्षा बल की चौकियाँ हैं । एकदम शुद्ध हेरोइन बहुत सस्ती (50 रु. में 200 मि० ग्रा०) और आसानी से उपलब्ध होने के कारण युवाओं में इसकी लत बढ़ती ही जा रही है । इसके नशे का आदी बहुत जल्दी इसे सिगरेट में भरकर पीने

से शुरू करके, नस में सुई द्वारा लेना शुरू कर देता है ।

समस्या वहुत गम्भीर है –

सूई द्वारा हेरोइन का नशा करने वाले अक्सर एक दूसरे की सुई का मिलकर इस्तेमाल करते हैं, इससे एच. आई. वी. एक व्यक्ति के रक्त से दूसरे में जा सकता है । एच. आई. वी. पोज़िटिव व्यक्तियों की संख्या बढ़ने के साथ उनके नाम प्रशासन से सार्वजनिक करवाने की माँग जोर पकड़ रही है ताकि उनका बहिष्कार किया जा सके या उनकी हत्या की जा सके । नागालैण्ड के एक भूमिगत 'क्रान्तिकारी' दल "नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल आफ नागालैंण्ड" ने यह घोषणा की है कि वह सभी एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों की हत्या करेगा (युनाइटिड न्यूज़ आफ इन्डिया, 4 फरवरी, 1991) । 240 व्यक्तियों को झूठे केस बनाकर जेलों में रखा गया है क्योंकि एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों को जेल में डालने का कोई कानून नहीं है । "नेशनल इंस्टीच्यूट आफ कोलरा एण्ड एन्टैरीक डिज़ीजेज़ " के विशेषज्ञों ने जाहिर किया " हमें एक छुपा हुआ व्यक्ति मिला जिसे डर था कि उसे ढूँढा जा रहा है और उसे पत्थर मार–मार कर कत्ल कर दिया जाएगा । कम से कम एक सुई से नशा करने वाले व्यक्ति की पत्थर मार–मारकर हत्या की जा चुकी है । पिता, पुत्रों को जेल में ले जाकर जेलरों से यह अनुरोध कर रहे हैं कि वे उन नशा करने वाले पुत्रों को जेल मे बन्द कर दें । (प्रोब. अक्टूबर 90)

यह एक भारी चिन्ता का विषय है कि केन्द्रीय सरकार के अनुदान से चलने वाली एक स्वंयसेवी संस्था हेरोइन का नशा करने वालों के लिए पुनर्वास केन्द्र के नाम पर एक कारागार चला रही है । इसमें सभी 85 लड़कों को भारी जंजीरों से हाथ पैर बाँधकर रखा हुआ है । इस केन्द्र में कुछ दिन पहले दो लड़कों ने कूंए में कूदकर आत्महत्या कर ली । इस केन्द्र में मणिपुर के एक कैबिनेट मंत्री, एक वरिष्ठ अधिकारी और एक अमीर व्यापारी के लड़के भी हैं । (संडे, 30 दि0–5 जनवरी 90)

समाधान –

मणिपुर मे नशीली दवाइयों के उपयोग के पीछे सामाजिक व आर्थिक कारण

हैं । फिलहाल एच. आई. वी. और एड्स महामारी की रोकथाम के उपाय सोचने चाहिए । नागरिकों को सुरक्षित यौन सम्बन्धों के बारे में शिक्षा देनी चाहिये। नशीली दवाई का सुई द्वारा सेवन करने वालों को बताना चाहिये कि वह एक दूसरे की सुई का उपयोग बिना उबाले या स्टरलाइज किये न करें । यूरोप में एक बार इस्तेमाल करके फेंक दी जाने वाली सुइयों को आसानी से उपलब्ध कराके काफी सफलता हासिल की गई है । लेने वालों को निशाना बनाकर उन पर अत्याचार न हो, इसके लिए उन्हें गुमनाम स्थानों पर बाँटा जाना चाहिए । जबरन जाँच की अपेक्षा स्वेच्छा से जाँच को अपनाना चाहिये । जाँच करवाने वाले व्यक्ति की पहचान को गुप्त रखने से ही इसमें सफलता प्राप्त होगी ।

डर फैलाने से सफलता नहीं मिलेगी –

चलाए जा रहे नशा छुड़ाने के अभियान से कुछ समस्याएँ पैदा हुई हैं । साँप व बिच्छू की तस्वीरों द्वारा नशीली दवाओं के इस्तेमाल करने वालों को भयभीत करने की कोशिश की गई परन्तु नतीजा विपरीत हुआ । अन्य लोगों ने भी नशीली दवाओं का प्रयोग शुरू कर दिया । युवा लोग साँप व बिच्छू की तस्वीरों को अपनी बाँहों पर गुदवा रहे हैं और यह नशीली दवाओं का इस्तेमाल करने वालों की सनक बन गई है । (प्रोब–अक्टूबर, 90) पूरी कोशिश की जानी चाहिए कि दवा छुड़ाने की सुविधाएँ मिल पाये तथा बेरोजगारी की समस्या की ओर ध्यान दिया जाए । एच. आई. वी. और एड्स का खतरा इतना गम्भीर है कि इसे नैतिकता और दोष देने वाली प्रवृत्ति से अलग ही रखा जाए । आवश्यकता है, कन्डोम (निरोध) और एक बार इस्तेमाल करके फेंक दी जाने वाली सुइयों को बाँटने की ।

दवा इस्तेमाल करने वाले एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों की दुर्दशा रक्त वेचकर अपनी रोजी–रोटी चलाने वाले व्यक्तियों से बहुत भिन्न नहीं है ।

9 | ब्लड बैंक बनाम थाने ?

दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों के ब्लड बैंकों में "एड्स वालों की तलाश" शीर्षक से पोस्टर देखे गए जिनमें पेशेवर रक्तदाताओं के नाम, पते व फोटो दि

गए थे । हालाँकि उनके ऊपर लिखा था "गोपनीय सूचना," फिर भी उन्हें ब्लड बैंको के चिकित्सा अधिकारियों के कमरे में ऐसे चिपकाया गया था जैसे थानों में अपराधियों के फोटो लगे होते हैं । एक ग्रुप सदस्य ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के ब्लड बैंक में दिसम्बर, 89 में ऐसा एक पोस्टर देखा । एक अन्य सदस्य को आसानी से एक बार माँगने पर एच. आई. वी. पोज़िटिव पेशेवर रक्तदाताओं के नाम व पते की सूची दे दी गई । स्पष्ट है कि इन गरीबों की गोपनीयता नहीं रखी जा रहीं ।

पेशेवर रक्तदाताओं का शिकार–

एड्स के बारे में गलत समझ और पूर्वाग्रहों को जानते हुए ये अन्दाज लगाना आसान है कि एच. आई. वी. जाँच को लेकर क्या-क्या अत्याचार किये जा सकते हैं । कलकत्ता में एक पेशेवर रक्तदाता पर यह शक होने की वजह से कि वह एच. आई. वी. पोजिटिव है, उसको खोजकर कारावास में डाल दिया गया। जबकि जाँच द्वारा वह एच. आई. वी. नेगेटिव पाया गया तो भी नहीं छोड़ा गया । इसी बीच इस व्यक्ति का नाम व तस्वीर अखबारों में छप चुकी थी । जरूरत से ज्यादा उत्साहित पड़ौसी लड़कों ने उसके परिवार के सदस्यों को धमकी दी कि वे सात दिन के भीतर उस इलाके से चले जाएँ ।

आश्चर्य नहीं कि वेश्यावृत्ति में महिलाएँ और पेशेवर रक्तदाता जो एच0 आई0 वी0 पोज़िटिव पाए जाते हैं, भूमिगत हो जाते हैं, क्योंकि उनके नाम व पते का प्रचार किया जाता है । प्रश्न उठता है कि गोपनीयता का निरादर करने से क्या एच0 आई0 वी0 का संचार रूकता है या उसे बढ़ावा मिलता है !

पेशेवर रक्तदाताओं का रक्त किसके लिए –

पेशेवर रक्तदाताओं की भूमिका को सही परिपेक्ष में देखने की आवश्यकता है । कई दशकों से ये अपना रक्त सस्ते दामों पर उन अमीर लोगों के लिए देते आ रहे हैं जिनको आप्रेशन के दौरान या बीमार पड़ने पर रक्त की आवश्यकता पड़ती है । एक ग्रुप सदस्य जो शल्य चिकित्सक है और दस वर्षों तक दिल्ली के तीन बड़े अस्पतालों में कार्य कर चुके हैं, इस बात को दावे से कहते हैं कि

आम तौर पर अमीर लोग, नेता और वरिष्ट अफसर ही अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के लिए रक्तदान करने से डरते और हिचकते हैं । गरीब पेशेवर रक्तदाता ही उनकी मदद के लिए आगे आते हैं । सेना में स्वास्थ्य सेवाओं पर एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार खुन खरीदने की प्रथा का भारत में श्रीगणेश भारतीय रैड क्रास सोसाइटी की बम्बई शाखा ने वर्ष 1944–45 में किया ।

"बल्ड डोनर्स वैल्फेयर एसोसिएशन" जो 1985 में पंजीकृत की गई थी, उसके संस्थापक सचिव जगदीश भारद्वाज (बी.पौज़िटिव), व्यावसायिक रक्तदाताओं की समस्याओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को सामने लाए । उनका कहना है कि व्यावसायिक रक्तदाता, किसी भी अन्य नागरिक की तुलना में एच.आई.वी. संक्रमण की दृष्टि से अधिक जोख़िम वाले नहीं माने जा सकते । इसके अतिरिक्त, जिन प्राविधिकताओं एवं प्रक्रियाओं से निकाल कर किसी भी व्यक्ति को, व्यावसायिक रक्तदाता की सूची में डाला जाता है, उसे एच.आई.वी. संक्रमण की दृष्टि से कम जोख़िम वाला बना देता है । इसलिए अकारण ही उन्हें एच.आई.वी. संक्रमण के लिए दोषी करार दिया जाना, उनके प्रति पूवाग्रहों का ही परिणाम है । सच तो यह है कि बिना स्टरलाइज़ की गई सुईयों और सिरिंज जो ब्लड-बैंकों में प्रयोग होती हैं, उसीं से पेशेवर रक्त बेचने वालों को एच. आई. वी. संक्रमण का खतरा होता है । साथ ही स्वेच्छा से रक्त देने वाले भी काफी संख्या में एच. आई. वी. पोजिटिव पाए गए हैं । आँकड़ों के अनुसार अगस्त, 88 में प्रति हजार एक भी स्वैच्छिक रक्तदाता पोजिटिव नहीं था, जबकि दिसम्बर, 89 में प्रति हजार में 1.3 पोजिटिव पाए गए । (डा0 आप्टे, निदेशक, इम्यूनो हिमेटोलोज़ी, बम्बई के अनुसार) इसलिए केवल पेशेवर रक्तदाताओं को ही क्यों "अधिक जोख़िम वाले वर्गों" में माना जाए और लगातार उनका पीछा किया जाए ? जिन लोगों का रक्त सालों से चूसा गया है, क्या प्रशासन की उनकी ओर कोई जिम्मेदारी नहीं है ?

सरकार ने अपने कर्त्तव्य भुला दिये –

हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किये गये एक अध्ययन से पता चलता है कि सरकारी अस्पतालों (सफदरजंग व अ0 भा0 आ0 चि0 संस्थान) के ब्लड बैंकों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रमों पर जोर नहीं दिया जाता (इन्डियन एक्सप्रैस,

5–8–90)

सफदरजंग अस्पताल की सन, 89 में रक्त की कुल आवश्यकता:	16,800 यूनिट
रोगियों के सम्बन्धियों द्वारा दान किया गया	4,250 "
रेडक्रास सोसाइटी से प्राप्त	2,250 "
व्यापारिक ब्लड बैंकों से प्राप्त	11,300 "

अध्ययन से यह भी पता चला है कि व्यापारिक ब्लड बैंकों में खून की न तो एच. आई. वी. जाँच की जाती है और न ही ठीक से अन्य जरूरी जाँचें। तो क्या एड्स बिल में यह प्रावधान है कि एच. आई. वी. जाँच की जिम्मेदारी रक्तदाता पर हो, और ब्लड-बैंकों पर कोई जिम्मेदारी न हो, न्याय संगत है ?

10 काले कानून–अंधा न्याय

गोवा लोक–स्वास्थ्य अधिनियम

1989 में, गोआ लोक स्वास्थ्य अधिनियम का संशोधन करते हुए प्रशासन के लिए यह अनिवार्य बना दिया कि वह एच. आई. वी. पोज़िटिव व्यक्ति को समाज से अलग रखने की व्यवस्था करे । धारा 8 के अन्तर्गत एच. आई. वी. पोज़िटिव व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए सामान व उपकरण दूसरे किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते । धारा 10 के अनुसार मृत एड्स व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए चादर व गद्दे को तुरन्त जलाकर नष्ट किया जाना चाहिए । इससे यह साफ है कि एड्स को छूत की बीमारी माना गया है । किसी व्यक्ति को यह अवसर भी नहीं दिया जाता कि वह यह सिद्ध कर सके कि वह एच. आई. वी. पोज़िटिव है भी कि नहीं । कानून सार और लागू किये जाने के तरीके, दोनों रूप से अनुचित, अन्याय पूर्ण और बेतुका हैं । यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 (बराबरी का हक) अनुच्छेद 19 (1) (डी) (मुक्त रूप से देश भर में आने जाने का हक) और अनुच्छेद 21 (निजी स्वतंत्रता का हक) का उल्लंघन करता है ।

सौजन्य सेः 'द लाइयर्स' अक्टूबर, 89.

गोवा में तीन एच0 आई0 वी0 पोज़िटिव बताए गए व्यक्तियों को अलग-अलग समय के लिए सन्, 89 में कारावास में डाला गया । उन्होंने, एक याचिका बम्बई उच्च न्यायालय में दर्ज की, जिसमें उन्होंने अपने कारावास में डाले जाने का विरोध किया । दिसम्बर, 89 में न्यायाधीश वी0 ए0 मेहता और न्यायाधीश जी0 एफ0 कोटू ने गोवा सरकार के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें कहा गया था कि एड्स मरीजों को समाज से अलग रखा जाए । न्यायाधीशों ने इसके लिए तीन कारण दिये । पहला, "हाँलाकि अलग रखने से व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का हनन होता है, लेकिन फिर भी जनहित में व्यक्तिगत हकों को बलिदान किया जा सकता है।"

वास्तव में एच. आई. वी. पोज़िटिव व्यक्तियों को जेल में डालने से ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपराधी हैं और समाज के लिए ख़तरा । इससे एच. आई. वी. पोज़िटिव व्यक्तियों पर लगाया गया कलंक और बढ़ जाता है । लोगों में उनके प्रति उन्माद पैदा होता है । हाल ही में अखबारों में ये छपा कि मणिपुर में एक एच. आई. वी. पोजिटिव बताए गए व्यक्ति को पत्थरों से मार दिया गया । ऐसे ही कलकत्ता में एक पेशेवर रक्तदाता के परिवार के सदस्यों को पड़ोसियों ने बहुत तंग किया और उन्हें घर छोड़ कर जाने की धमकी दी । अलग रखने से ऐसी गलत धारणाओं को बढ़ावा मिलता है तथा लोगों में भय फैलता है । साथ ही इसमें कोई जनहित भी नजर नहीं आता कि सब एच. आई. वी. पोज़िटिव व्यक्तियों को जेलों में डाल दिया जाए । वास्तव में सभी एच. आई. वी. पोज़िटिव व्यक्तियों को –जिनकी संख्या लाखों में आँकी जा रही है और जो आने वाले समय में और बढ़ेगी– लम्बे समय के लिए कारागारों में डाला ही नहीं जा सकता ।

न्यायाधीशों ने दूसरा कारण देते हुए कहा कि एड्स मरीज को अलग रखना उसके अपने हित में है । एक एड्स मरीज अपना संतुलन और जीने की उम्मीद खो सकता है, इसलिए उसे कारागार में डालकर उसे इस संभावना से बचाया जा सकता है। परन्तु देखने में इसका उल्टा ही आया है । जब तमिलनाडु सरकार ने एक महिला को एच. आई. वी. पोज़िटिव बताकर अलग रखने के इरादे से

कारावास में रखा तो उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली ।

तीसरा कारण बताया कि वर्तमान बचाव साधन दुनियाँ भर में एड्स के फैलाव को रोकने मे असफल हो गए हैं इसलिए एच. आई. वी. पोज़िटिव व्यक्तियों व एड्स मरीजों को अलग रखने का अनुमोदन किया । ग्रुप सदस्यों की सोच है कि बचाव के इन्हीं तरीकों– "अलग रखना, कारावास में डालना, जबरन जाँच करना, जाँच रिपोर्ट को गोपनीय न रखना, एड्स मरीजों को अस्पताल में भर्ती न करना–" को अपनाए जाने की वजह से रोग भूमिगत हो गया है । जिसके कारण यह बीमारी निरन्तर बढ़ रही है । ग्रुप न्यायाधीशों के इस मत से असहमत है कि एड्स मरीजों को अलग रखने का वैज्ञानिक आधार है ।

उच्चन्यायालय ने आवेदकों का यह निवेदन भी नामन्जूर कर दिया कि उनको इस फैसले के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की इज़ाज़त दी जाए ।

भविष्य में क्या होने वाला है ?

और भी बहुत से काले कानून और कानूनी व्यवस्थाएँ आने वाली हैं जिनसे एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों, एड्स मरीजों व नागरिकों को न्याय मिलना असंभव हो जाएगा :

1. महानिदेशक, भा० चि० अ० परिषद्, डा० पेंटल ने शुरू में सुझाव दिया था कि एक केन्द्रिय कानून बनाया जाए जिसके अन्तर्गत विदेशियों, और प्रवासी भारतीयों तथा देशवासिओं के बीच यौन सम्बन्धों पर पाबन्दी लगाई जाए । कानून मंत्रालय ने इस सुझाव को नामन्जूर कर दिया क्योंकि इससे नागरिकों के जाने माने ज़िन्दगी के हकों का उल्लंघन होता है । अगस्त, 89 में डा० पेंटल ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु के मुख्यमन्त्रियों को पत्र लिखा कि वह एच. आई. वी. पोज़िटिव होने के संदेही व्यक्तियों के साथ विवाह के बाहर यौन सम्बन्धों पर पाबन्दी लगा दें । उन्होंने यह भी लिखा कि इस विषय पर एकदम अध्यादेश जारी कर दिया जाए, क्योंकि देश में एच. आई. वी. पोज़िटिव वेश्यावृत्ति में महिलाएँ एड्स बीमारी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई हैं । मद्रास व बम्बई में सबसे अधिक विदेशी

और प्रवासी भारतीय आते हैं जो कि वेश्यावृत्ति में महिलाओं के पास निरन्तर जाते हैं ।

ग्रुप सदस्यों को यह मानना है कि यह सुनिश्चित करना असंभव है कि विदेशियों और प्रवासी भारतीयों तथा देशवासियों के बीच यौन सम्बन्ध न हो । क्या हर व्यक्ति के बिस्तर के नीचे पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा सकता है ? साथ ही क्या यह सोचना सही है कि हर विदेशी और प्रवासी भारतीय एच. आई. वी. पोज़िटिव है ?

2. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में श्री परमानन्द कटारा द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें माँग की गई कि हर विदेशी को भारत में आने देने के लिए "एच. आई. वी. मुक्त", प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक कर दिया जाय । सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को रद्द कर दिया । (हिन्दुस्तान टाइम्स 28–8–90)

3. महाराष्ट्र विधान परिषद् में, आने वाले दिनों में व्यक्ति को एड्स मरीजों की गिरफ्तारी पर एक विधेयक लाया जा रहा है । क्या एच. आई. वी. पोज़िटिव व्यक्ति को अपराधी माना जाए ? बिल में सुझाव है कि एंच. आई. वी. पोज़िटिव व्यक्तियों को कारावास में डाला जाए । ये गैर सरकारी विधेयक डा० बली राम हीरे और एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लाया जा रहा है । यह डा० हीरे वही हैं जिन्हें 1986 में जे० जे० अस्पताल में मिलावटी ग्लीसरोल द्वारा 14 मरीजों की मौत के लिए अपराधी ठहराया गया था । (टा० आ० ई० 21–8–90)

इन मौतों की जाँच के लिए बिठाए गए "लेन्टिल कमीशन" ने डा० हीरे पर मुकदमा चलाने का सुझाव दिया था । सरकार ने इस केस को जस्टिस काम्बले को सौंप दिया था । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भविष्य में डा० हीरे को कोई जिम्मेदारी वाला काम न दिया जाए । (फ्री० प्रैस जरनल, 20–12–90)

4. मई, 90 में तमिलनाडु सरकार ने गैर कानूनी तरीके से सैंकड़ों महिलाओं को एच० आई० वी० पोज़िटिव होने के संदेह मे कारावास में डाला । बाद में सरकार ऐसा कानून बनाने की सोच रही थी जिससे उसके इस कदम को मान्यता

प्राप्त हो जाती । (इन्डियन एक्सप्रैस, 29–6—90)

आशा की किरण–

जुलाई, 90 में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ के दो न्यायाधीशों ने 4 एच. आई. वी. पोज़िटिव महिलाओं को सरकारी सुधारगृह (मायलापुर) से रिहा करने का आदेश दिया । इन महिलाओं को आई० टी० (पी०) एक्ट, 1986 के अंतर्गत सजा के तौर पर वहाँ भर्ती किया गया था, किन्तु उनकी सजा की अवधि पूरी होने पर भी उन्हें एच० आई० वी० पोजिटिव होने के कारण छोड़ा नहीं गया था । सरकार ने न्यायालय में कहा कि वे महिलाएँ वहाँ अपनी मर्जी से रह रही थीं । न्यायालय ने सरकार की इस बात का खण्डन किया और कहा कि वह औरतें अपनी मर्जी से सुधार गृह में रह रही थी । तथा उन्हें रिहा करने के आदेश दिये ।

भाग दो
वेश्यावृत्ति में महिलाओं की पहले ही से असुरक्षित स्थिति

1 पुलिस एवम् न्याय पालिका की भूमिका

आई० टी० (पी०) अधिनियम (पूर्व सीता), का कथित उद्देश्य है, वेश्यावृत्ति में महिलाओं के व्यापारियों को सजा दिलवाना । महिलाओं के खिलाफ धारा 7 और 8 के तहत मामूली सजा का प्रावधान है । परन्तु वास्तव में इस अधिनियम की इन महिलाओं को दण्डित करने वाली धाराओं का ही इस्तेमाल किया जाता है । बम्बई की खुफिया विभाग के रिकौर्डों द्वारा यह स्पष्ट होता है ।

सन 80 से 86 के रिकौर्डों के अनुसार 469 कोठों के मालिकों को पकड़ा गया परन्तु इनमें से केवल दो को सजा हुई । सन 80 से मई 84 के बीच किसी भी दलाल या कोठे के मालिक को एस० आई० टी० ए० (सीता) के अन्तर्गत नहीं पकड़ा गया । सन 81 से 85 के दौरान 'सीता' के तहत 4139 महिलाओं को पकड़ा गया । इसी दौरान बम्बई पुलिस अधिनियम के अंतर्गत 44663 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया । इनमें से शत प्रतिशत महिलाओं को सजा दी गई ।

दिल्ली की स्थिति भी अलग नहीं है । किसी भी अखबार के तीसरे पन्ने पर नज़र डालने से यही विदित होता है ।

आई० टी० (पी०) अधिनियम की धारा 8 के अनुसार "यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से, किसी घर या बिल्डिंग के अन्दर या बाहर से, किसी सार्वजनिक स्थान से या उसके पास से, किसी दूसरे व्यक्ति को छेड़ता है या रिझाता है, या आवारा घूमता है, या ऐसा व्यवहार करता है कि वहाँ रहने वाले या वहाँ

से गुजरने वाले व्यक्तियों को रूकावट हो या गुस्सा आए, या जो शालीनता के विरूद्ध हो, उस व्यक्ति को सजा दी जा सकती है....."

धारा 8 का रद्द करना आवश्यक–

असल जिन्दगी में महिलाओं को सार्वजनिक स्थान में रिझाने के कारण गिरफ्तार किया जाता है, या कानून का इस्तेमाल पुलिस द्वारा इन महिलाओं को आतंकित करने के लिए किया जाता है ? यह निम्नलिखित कुछ उदाहरणों से स्पष्ट होगा ।

1. अक्सर अखबारों में ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं । काल गर्ल होटल में गिरफ्तार–वसन्त विहार पुलिस द्वारा एक पाँच सितारा होटल में देर रात को छापा मारकर एक काल गर्ल को पकड़ा गया । 30 वर्षीय महिला सैक्रेटरी और स्टेनो का काम करती है । पुलिस उपायुक्त (दक्षिण–पश्चिम) श्री फारूखी के अनुसार यह महिला महारानी बाग स्थित अपने निवास से फोन द्वारा धन्धा करती थी । पुलिस के एक आदमी ने फोन से सौदा किया । होटल के एक कमरे में एक घंटे के लिए 5000/– रू0 का सौदा तय हुआ । जैसे ही यह महिला होटल के कमरे में आई और पैसा मांगनें लगी, वहाँ छुपी पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया । (इन्डियन ऐक्सप्रैस, 12–7–90, अखबार में इस महिला का नाम भी दिया गया था)

एक वरिष्ठ वकील अरविंद जैन ने 28–29 मई 1990 को "वेश्याएं और उनके बच्चे," कार्यशाला के दौरान यह प्रासंगिक सवाल उठाया । उन्होंने पूछा कि इस प्रकार के पुलिस द्वारा लगातार मारे जाने वाले छापों में कहाँ व किस वक्त, सार्वजनिक स्थान मे रिझाने का जुर्म होता है ? असल में कानून के अनुसार होटल मालिक व प्रबंधकों को गिरफ्तार करना चाहिए क्योंकि उन्होंने होटल के कमरे को अनैतिक कार्य के लिए किराए पर दिया होता है ।

इस उदाहरण से साफ है, कि इन परिस्थितियों में पुलिस केवल मनमाने नैतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर कार्यवाही करती है, न कि कानूनी आधार पर । नैतिकता का पूरा दारोमदार महिलाओं पर डाल दिया जाता है । अन्यथा पुलिस

किसी नकली काल गर्ल की मदद से किसी ग्राहक को गिरफ्तार क्यों नहीं करती?

एक वास्तविक छापे का विवरण–

ग्रुप सदस्यों के सामने धारा 8 के जी0 बी0 रोड में गलत इस्तेमाल का एक उदाहरण सामने आया । 5 जनवरी, 1990 को कु0 'क', एक अपंग महिला जिसका हाल ही में पेट का आप्रेशन हुआ था, अपने कोठे से निकलकर नज़दीक होटल में खाना लेने जा रही थी । उसी वक्त छापा मारने वाली पुलिस की टोली उधर से गुज़री । उन्होंने कु0 'क' को बुरी.तरह पीटा और गिरफ्तार कर लिया। कारण दिया गया कि महिला सड़क पर ग्राहकों को रिझाने जा रही होगी पुलिस इस महिला के कमरे में पहुँची और कु0 'ख' (जो कि अपने एक वर्ष के बच्चे को दूध पिला रही थी) हिरासत में ले लिया । दो महिलाओं कु0 'ग' और कु0 'घ' के विरोध करने पर उन्हें भी पकड़ लिया गया । सभी पर सार्वजनिक स्थान में रिझाने का आरोप लगाया गया था ।

न्यायाधीश के सामने पेश किए जाने पर ये महिलाएँ अक्सर सार्वजनिक स्थान में ग्राहकों को रिझाने के अपराध को स्वीकार कर लेती है । ऐसा करने पर 7 से 10 दिन की सजा होती है । लेकिन दूसरी ओर यदि ये सच के रास्ते पर चलें और केस लड़ने की सोचें तो उनको तुरन्त उतनी ही अवधि के लिए हवालात में भेज दिया जाता है क्योंकि महिलाएँ अक्सर अपनी जमानत नहीं करवा पाती । उन्होंने अपने अनुभव से सीखा है कि जेल में 10 दिन बिताकर बाहर आना ही बेहतर है वरना उतना ही समय हवालात में बिताने के बाद बिना साधनों के एक लम्बा मुकदमा लड़ना पड़ता है । यह हमारी न्यायपालिका की कार्यप्रणाली की एक दुख भरी सच्चाई है ।

उसी दिन बाद में जब ग्रुप सदस्य अपनी साप्ताहिक विज़िट के दिन वहाँ पहुँचे, तो उस कोटे की अन्य महिलाएँ उन्हें लेकर थाने पहुँचीं । यह कहे जाने पर कि बहुत अन्याय हुआ है, पुलिस ने उन्हें धमकी दी कि यदि वे वापस न गए तो उन्हें भी पकड़ लेंगे । निराश होकर महिलाएँ लौट गईं तथा अखबारों में अपने बयान दिए । महिलाओं को 18 घंटे के बाद न्यायाधीश ने जमानत पर छोड़ दिया । इस अवधि में इन चार महिलाओं की साथिनों से पुलिस ने हवालात में खाना और

कम्बल देने की अनुमति देने के लिए 300 रूपये ऐंठ लिए । अगले दिन पुलिस आयुक्त को एक अर्जी दी गई । घटना का पूर्ण विवरण देते हुए जाँच की माँग की गई। महिलाओं को कथित जाँच के लिए एक बार बुलाया गया, किन्तु उसके बाद आज तक कुछ नहीं हुआ ।

यह बता देना आवश्यक है कि गिरफ्तार महिलाओं को पहाड़गंज थाने की हवालात में रखा जाता है । आम तौर पर पुलिस उन्हें इस थाने से दोपहर दो बजे तीस हजारी कचहरी ले जाती है । लेकिन अखबारों में इस घटना के छपने के बाद पुलिस सुबह ही चारों महिलाओं को पहाड़गंज थाने से कमला मार्किट थाने लेकर गई । तत्कालीन एस. एच. ओ. श्री राम किशन ने महिलाओं से निवेदन किया कि वे कबूल कर लें कि वे सड़क पर ग्राहकों को रिझाने की कोशिश कर रही थीं । जब वे नहीं मानी तो पुलिस ने उन्हें डराया व भला बुरा कहा । उस दिन सुबह छपे अखबारों के बयानों के बारे में पूछा । महिलाओं ने कहा कि वे तो हवालत में थीं, उन्हें कुछ नहीं मालूम ।

कुछ दिन पश्चात ग्रुप के चार सदस्य तत्कालीन, पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) श्री अमोद काँठ से मिले । श्री काँठ ने एक सभा में आश्वासन दिया था कि यदि पुलिस की ज्यादतियों के बारे में उन्हें सूचना दी जाएगी तो वे तुरन्त यथासम्भव मदद करेंगे (12.12.89) को जे0 डबल्यू0 पी0 द्वारा आयोजित सैमिनार में यह आश्वासन दिया गया था) लेकिन ग्रुप के मिलने पर श्री काँठ का रवैया एकदम विपरीत था । उनका कहना था कि जब तक ये कोठे रहेंगे तब तक छापे पड़ते रहेंगे और किसी एक घटना के बारे में शिकायत करने की कोई तुक नहीं थी।

इन महिलाओं द्वारा ये "निडर" कदम उठाने के बाद पुलिस ने कई बार उन्हें पुलिस थाने में बुलाया व खुद भी उनके कोठे पर गए । महिलाओं पर गाली गलौच की गई तथा उनको धमकाया गया कि उन्हें भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। केस देखने वाले पुलिस अधिकारी ने ग्रुप सदस्यों के बारे में विशेषकर ललिता एस. ए. के बारे में भद्दे शब्द कहे क्योंकि "उन्होंने महिलाओं को भड़काया था"

पुलिस द्वारा "जुविनाइल जस्टिस एक्ट" की आड़ में क्रूरता –

15 मार्च, 1990 को घटित एक और बड़ी घटना से पुलिस की क्रूरता का अन्दाज लगाया जा सकता है । उस दिन श्री अमोद कॉठ जी. बी. रोड़ की महिलाओं और उनके बच्चों पर टूट पड़े तथा उनमें से 112 को पकड़ लिया । अधिकतर बन्दी बालिग थे फिर भी उन्हें जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम (जे.जे. एक्ट) के तहत पकड़ा गया । जुविनाइल वैलफेयर बोर्ड द्वारा सभी को रिहा कर दिया गया, क्योंकि वे बालिग थे, और जो नाबालिग थे, वे उपेक्षित नहीं थे ।

पुलिस द्वारा उठाया गया यह कदम गैरकानूनी था क्योंकि जे. जे अधिनियम पुलिस को यह अधिकार नहीं देता कि उन बच्चों को हिरासत में ले ले, जिनके अभिभावक होते हैं । जे. जे. अधिनियम की धारा 14 कहती है, "खास तरीकों का अपनाना, यदि उपेक्षित बालक के अभिभावक/माता पिता हों : (1) यदि किसी पुलिस अफसर या अधिकृत व्यक्ति या संस्था के विचार से कोई बालक उपेक्षित है और वह बालक अपने माता, पिता या किसी अभिभावक के संरक्षण में है तो वह पुलिस अफसर या अधिकृत व्यक्ति या संस्था उस बालक को अपनी हिरासत में नहीं लेंगे बल्कि उसके बारे मे जॉच करवाने के लिए जे. डब्ल्यू. बोर्ड को रिपोर्ट देंगे ।"

लेकिन इस केस में रिपोर्ट देना तो दूर, जे. डब्ल्यू. बोर्ड को छापे की इत्तला भी नहीं दी गई । बोर्ड के अध्यक्ष श्री बी. एल. कान्तरू के शब्दों में, "छापा उस दिन मारा गया जिस दिन बोर्ड की बैठक भी नहीं होती" ? महिलाओं व बच्चों को देर रात तक गैरकानूनी तरीके से पुलिस मुख्यालय में बंदी रखा गया । देर रात श्री कान्तरू को अपने घर पर ही इस घटना की सुनवाई करनी पड़ी, ताकि पुलिस की मूर्खता को कानूनी कवच पहनाया जा सके ।

इस छापे का विवरण–

महिलाओं ने इस छापे का इस प्रकार वर्णन किया– "हम सब सोए थे, जब प्रातः 7 बजे के करीब हमारे ऊपर से रजाइयाँ खींच ली गईं । बहूत सी महिलाएं व पुरूष हमारे कमरों में घुस आए थे । इस प्रकार अचानक रजाइयाँ खींच लिए

जाने के कारण और हमारें कपड़े अस्त–व्यस्त होने के कारण हममें से कुछ अर्धनग्न अवस्था में उठा दी गई । हमें बालों से खींचा गया और पुलिस गाड़ियों तक घसीटते हुए ले जाया गया ।"

"पुलिस दल के साथ बहुत से फोटोग्राफर और वीडियो फिल्म बनाने वाले भी थे । हमें यह नहीं बताया गया कि हमें कहाँ और क्यों ले जा रहे थे । कड़े विरोध के बाद बताया गया कि "बच्चों को अस्पताल में जाँच के लिए ले जाया जा रहा है और शाम तक छोड़ दिया जाएगा" । इस भगदड़ में हम न तो चप्पल पहन पाए और न ही दुपट्टा ओढ़ पाए । पुलिस मुख्यालय पहुँचने पर मालूम चला कि हमें गिरफ्तार किया गया था, न ही हमारी जाँच की गई और न छोड़ा गया। पुलिस मुख्यालय में पूरे समय हमारी वीडियो फिल्म बनाई जा रही थी ।"

पुलिस अफसर पर मुकदमा क्यों नहीं ?

जे. जे. अधिनियम की एक और धारा 36 का भी उल्लंघन किया गया । इस धारा के अनुसार बच्चों के नाम, पते, स्कूल तथा अन्य विवरण, जिससे उनकी पहचान हो सकती है प्रकट करना और उनका फोटो छपवाना गैरकानूनी है । जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है उस पर 1000/– रु0 तक के जुरमाने का प्रावधान है। परन्तु श्री काँठ ने छापे के समय न केवल फोटोग्राफरों को बुलाया बल्कि छापे के बाद पत्रकार सम्मेलन को भी सम्बोधित किया । फिल्म सर्टिफिकेट एप्पिलेट ट्रिब्यूनल ने "न्यूजट्रेक" वीडियों पत्रिका से सम्बन्धित एक केस में निर्णय देते हुए कहा, "पुलिस छापे की अखबारों मे व्यापक रूप से चर्चा हुई । वास्तव में पुलिस उपायुक्त श्री काँठ ने छापे के तुरन्त बाद संवाददाता सम्मेलन बुलाया था। प्रतीत होता है कि उपायुक्त अपना प्रचार करवाना चाहते थे ।" जे. जे. अधिनियम की धारा 36 के तहत् क्या श्री काँठ पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए ? इसके विपरीत उन्हें तरक्की देकर गृह मंत्रालय में ओ. एस. डी. के पद पर नियुक्त किया गया ।

अदालतें किनके लिए ?

एक बार फिर से महिलाओं ने यह जान लिया कि कानून की नज़रों में

उनको बराबर नहीं माना जाता । छापे के विषय में एक केस दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया था, परन्तु उसे जे. डब्ल्यू. बोर्ड में वापस भेज दिया गया । सर्वोच्च न्यायालय में एक 'बन्दी प्रत्यक्षीकरण' याचिका दर्ज की गई, जिसमें बच्चों की बहाली की माँग की गई । सर्वोच्च न्यायालय के सब–रजिस्ट्रार ने केस को तुरन्त सुनवाई के लिए रखने से मना कर दिया, क्योंकि उसके अनुसार, इस मामले में हस्तक्षेप की कोई जल्दी नहीं थी (इन्डियन एक्सप्रैस 18 मार्च, 1990) । देश के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार 112 बच्चों के केस में जल्दी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी । इसके विपरीत न्यायालय के एक न्यायाधीश ने राष्ट्रीय अवकाश दिवस, 2 अक्टूबर को एक बड़े उद्योगपति के केस में, सुनवाई के लिए अपने घर पर ही अदालत लगाई थी ।

इस छापे की एक और दुख भरी बात यह भी है कि पुलिस ने बार–बार बयान दिए कि बच्चों की एच. आई. वी. जाँच होना आवश्यक था । लेकिन यह नहीं बताया गया कि जी0 बी0 रोड के बच्चों की ही जाँच करवाना क्यों आवश्यक था । यदि यह मान भी लिया जाए कि इनकी माताओं को एच. आई. वी. संक्रमित होने का खतरा है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इनके बच्चे किसी प्रकार के यौन संम्बन्धों के शिकार हैं । एच. आई. वी. तथा एड्स छूतैले रोग नहीं हैं और ये केवल साथ रहने से नहीं फैल सकते ।

ऊपर लिखित उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि पुलिस कानून को साधन बनाकर वेश्यावृत्ति में महिलाओं पर मनमाना अत्याचार करती है । लेकिन क्या कानून में कोई दोष नहीं है ?

2 कानून :-महिलाओं को सताने का एक साधन

सन् 1956 में "सप्रैशन आफ इम्मौरल ट्रैफिक इन विमेन एण्ड गर्ल्स एक्ट" (सीता) लाया गया था । जिन महिलाओं को समाज द्वारा वेश्यावृत्ति में धकेला गया है, उनको सरकार द्वारा सताने का यह अधिनियम एक प्रमुख साधन है ।

1986 में इस अधिनियम का नाम बदलकर 'इम्मौरल ट्रैफिक (प्रिवैन्शन)एक्ट' रख दिया गया। 'महिलाओं और लड़कियों' के स्थान पर 'व्यक्तियों' शब्द प्रयोग किया गया । दुःख की बात है कि नए अधिनियम का सार, भाव और उसका पालन ज्यूँ का त्यूँ ही हैं।

अधिनियम के उद्देश्य–

'वेश्यावृत्ति को अपराध मानना या एक व्यक्ति को अपना शरीर बेचने के कारण सजा देना, या वेश्याओं या वेश्यावृत्ति को समाप्त करना उद्देश्य नहीं है । इसका उद्देश्य तो वेश्यावृत्ति कराने के उद्देश्य से व्यक्तियों की खरीद फरोख्त, और इसे संगठित व्यापार बनाकर आमदनी का साधन बनाने पर रोक लगाना है'।

.....और इसकी वास्तविक धाराएँ –

इस अधिनियम की अलग–अलग धाराओं में तथा उसके घोषित उद्देश्यों में अन्तरविरोध है । पुलिस को बहुत अधिकार दिये गए हैं जिनसे वे महिलाओं पर निरन्तर आतंक फैलाए रखते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं । उदाहरण के तौर पर यदि एक महिला अपने परिवार के अपंग या निस्सहाय सदस्य की भी आर्थिक मदद करती है तो उस सदस्य को जेल में डाला जा सकता है, या उस पर जुर्माना किया जा सकता है, या दोनों ही सम्भव है ।

अधिनियम की धारा 4 के अनुसार "18 वर्ष से ऊपर कोई व्यक्ति यदि जानबूझकर किसी वेश्यावृत्ति में महिला की कमाई पर निर्भर हो तो उसे दो वर्ष की कैद या उस पर 1000 रू तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों ही सम्भव हैं ।"

अधिनियम की धारा 8 द्वारा वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थान पर रिझाने की क्रिया को दण्डनीय माना गया है । इस धारा में सैक्स के आधार पर बेबुनियाद भेदभाव किया गया है । जब कि एक महिला को एक वर्ष तक की सजा हो सकती है, एक पुरुष को उसी अपराध के लिए अधिक से अधिक तीन माह तक की सजा दी जा सकती है । महिलाओं को आतंकित करने के लिए पुलिस द्वारा इसी धारा का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है ।

इस अधिनियम में अनेकों प्रावधान हैं जिनके द्वारा महिलाओं को बहुत सताया जा सकता है । धारा 20 (1) के अनुसार वेश्या को किसी जगह से हटानाः– यदि किसी न्यायाधीश को यह शिकायत मिले कि एक वेश्या उसके अधिकार क्षेत्र में रहती है तो वह उस शिकायत को दर्ज करेगा । न्यायाधीश उस महिला को नोटिस भेज कर उसकी पेशी करवा सकता है और उस महिला से 'कारण बताओ नोटिस' द्वारा पूछ सकता है कि क्यों न उसको उस क्षेत्र से हटाया जाए, और दोबारा वहाँ प्रवेश से वर्जित कर दिया जाए ।

क्या अधिनियम की धारा 20 संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (डी), (ई) का उल्लंघन करती है ? अनुच्छेद 19(1) (डी), भारतीय नागरिक का हक है कि वह देश भर में घूम सकता है, तथा अनुच्छेद 19 (1) (ई), के अनुसार नागरिक को देश भर में कहीं भी रहने और बसने का अधिकार है । न्यायालयों ने हमेशा फैसलों द्वारा धारा 20 को उचित ठहराया है, और कहा है कि वेश्यावृत्ति में महिलाओं को किसी क्षेत्र से बाहर करना सामाजिक स्वास्थ्य तथा नैतिकता की रक्षा के लिए आवश्यक है ।

यदि एक महिला इतना सताए जाने के बाद भी वेश्यावृत्ति से बाहर नहीं निकलना चाहती तो वह अवश्य ही बहुत दुष्ट होगी । लेकिन क्या उसके पास कोई विकल्प है ?

सरकारी विकल्प–

अधिनियम की धारा 19 के अनुसार वेश्यावृत्ति की शिकार महिलाओं को रक्षागृहों में भेजा जा सकता है । इसके अतिरिकक्त पूरे अधिनियम में इन महिलाओं के प्रति सरकार की किसी जिम्मेदारी का कोई जिक्र नहीं है । ऐसा ही एक रक्षाग्रह (नारी निकेतन) राजधानी में प्रधान मंत्री के निवास स्थान से 20 मील से भी कम दूरी पर स्थित है । इसकी अन्दरूनी स्थिति के बारे में एक याचिका समाज सेविका कुमारी शिवादास ने सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज करवाई थी । न्यायमूर्ति भगवती तथा न्यायमूर्ति मिश्रा के आदेशानुसार एक समिति गठित की गई थी । इसके सदस्य श्री आर. एल. गुप्ता, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली, कुमारी नन्दिता हक्सर,

सचिव, कानूनी सहायता बोर्ड, दिल्ली और कु0 शिवादास थे । अप्रैल 79– और अप्रैल 81 के बीच नारी निकेतन के हालातों के बारे में समिति ने जो रिपोर्ट दी उसके कुछ अंश इस प्रकार हैं ।

1. **नाकाफी भोजन** – दर्ज याचिका में जो आरोप थे कि निकेतन में खाने, कपड़ों व बिस्तरों का सही प्रबन्ध नहीं है, इन आरोपों को हम ठीक मानते हैं। जब हम रसोइघर में पहुँचे तो पाया कि जो खाना 84 निवासियों के लिए बना था वह बहुत कम था । हमने एक कोने में सड़े हुए करेलों का ढेर देखा । वे मनुष्यों के खाने योग्य नहीं थे । लड़कियों का कहना था कि ऐसी सब्जियाँ रोज़ बनाई जाती थीं । कई बार उनमें कीड़े मिलते थे । उन्होंने बताया कि आटे में भी कीड़े पाए जाते थे ।

2. **कपड़े सही नहीं**– निकेतन में हमें एक चार्ट दिया गया । उसके अनुसार प्रत्येक लड़की को प्रति वर्ष चार जोड़ी कपड़े मिलने चाहिए थे, और उनको तौलिया, साबुन, तेल, जाँगिया आदि उचित मात्रा में मिलने चाहिए थे । अधिकतर लड़कियों का कहना था कि भरती होने के काफी दिनों तक और अनेकों बार कई महीनों तक उनको कोई कपड़े नहीं दिये गए । कुछ लड़कियाँ स्नान के बाद धूप में खड़े होकर अपने गीले कपड़ों को सुखाती थीं । सभी ने साबुन व तेल की कमी के बारे में शिकायत की । 90% प्रतिशत से अधिक नंगे पाँव थीं । सबसे बड़ी समस्या थी जाँगियों, ब्रा और माहवारी के दौरान आरोग्यकर तोलियो का ना दिया जाना ।

3. **अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रशिक्षण नहीं** – हम इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि इस संस्था में प्रशिक्षण और आर्थिक पुनर्वास की सुविधाएँ नहीं हैं । लड़कियों ने कोई काम धन्धा सीखने की तीव्र इच्छा जाहिर की, जिससे कि वे अपनी जीविका चला सकें । नारी निकेतन नौकरी ढूँढ़ने में बहुत कम मदद करता है । जो इस संस्था को छोड़ने के बाद नौकरी ढूँढ़ पाती हैं, वे उतना नहीं कमा पाती कि होस्टलों में रह सकें । कोई सस्ते होस्टल या अन्य रहने के स्थान उपलब्ध नहीं हैं ।

4. **यहाँ से निकलने के लिए विवाह एकमात्र रास्ता** – नारी निकेतन के प्रबंधक ने अपने पत्रों में लिखा है कि लड़कियो का शादी के माध्यम से पुनर्वास करवाना ही इस संस्था का अन्तिम उद्देश्य है । शादी के जो नियम हमें दिखाए गए उनमें पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं थे । विवाह उन दो व्यक्तियों के बीच कर दिया जाता था जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते । काफी बार इसके परिणाम अनर्थकारी साबित होते हैं । दस्तावेजों के अनुसार बहुत सी लड़कियाँ एक माह बाद ही वापस लौट आईं या उनके पति उनको छोड़ गए । इस संस्था का शादी के बाद नजर रखने का कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए मालूम नहीं चलता कि लड़कियों का शादी के बाद क्या होता है । फाइलों में इसका कोई लिखित रिकार्ड नहीं है ।

5. **बँधुवा मज़दूर**– इन लड़कियों के बयान, से हमारी राय में नारी निकेतन की भूतपूर्व प्रबंधक अनेकों लड़कियों से, जबरन अपने घर में बिना वेतन दिए काम करवाती थी । ये निवासी साक्षरता कक्षाओं से और अन्य कक्षाओं से वंचित रह जाती थी ।

6. **लड़कियों को बेचना व सप्लाई करना**– प्रेमा ने बताया कि प्रबंधक ने तीन लड़कियों–शाँति, सारथी और कूँगी को बेच डाला था । अप्रैल 81 में उनको नौकरी दिलवाने के बहाने बेचा गया । भूतपूर्व प्रबंधक शाँता रत्ना ने इन लड़कियों को धोखा देकर कहा कि उनके माता–पिता लेने आए हैं । प्रेमा के अनुसार, प्रबंधक ने कई लड़कियों की शादी जबरन अपनी पसन्द के आदमियों से की थी। मना करने पर धमकी दी गई कि उनको निकेतन से निकाल दियां जाएगा । एक लड़की शब्बो को प्रबंधक ने घरेलू काम के लिए दो तीन महीने अपने घर के बाहर एक झुग्गी में रक्खा । पारो का दावा है कि प्रबंधक ने प्रेमा को नौकरी के बहाने किसी व्यक्ति के साथ नारी निकेतन से बाहर भेजा । वापस लौटने पर प्रेमा ने बताया कि उस व्यक्ति ने प्रबंधक को 2000 रु. दिये ।" (सौजन्य से मानुषी अंक 10, 1982– "कारावास से भी बुरी सुरक्षा")

पिछले 10 वर्षों मे भी नारी निकेतन मे कोई सुधार नहीं –

जिन महिलाओं को मार्च, 90 में गिरफ्तार करके नारी निकेतन में रक्खा गया था, उनकी ग्रुप सदस्यों से बातचीत के दौरान निम्न टिप्पणियाँ थीं: उनके वर्णन से इस बात को बल मिलता है कि जी0 बी0 रोड की महिलाओं (जिनके बारे में समझा जाता है कि वे नारकीय माहौल में रहती हैं) को भी नारी निकेतन के हालात भयंकर लगे । नारी निकेतन में इन्हें बच्चों के साथ रक्खा गया था ।

(1) अलग–अलग उम्र के निवासियों को एक साथ बड़े–बड़े हालों में रक्खा जाता है । बालिगों के लिए भी अलग से कमरे नहीं हैं ।

(2) शौचघर व स्नानघर में मलमूत्र फैला हुआ था ।

(3) यहाँ तक कि नहाने के नल के आसपास भी मल फैला हुआ था ।

(4) पानी का दबाव बहुत कम था ।

(5) सभी निवासियों के लिए केवल एक शौचालय व एक स्नानघर था।

(6) सबके हाथ धोने के लिए साबुन का एक छोटा टुकड़ा ही उपलब्ध था और यदि यह टुकड़ा हाथ से फिसल जाए तो मल में गिरेगा, फिर इस्तेमाल के लिए वहीं से उठाना पड़ेगा ।

(7) दन्त मंजन और साबुन प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता था । किसी के पास भी टूथ ब्रश नहीं था ।

(8) एक बालिका को इसी मल से कुछ उठाकर खाते देखा गया ।

(9) छोटे बच्चे रो रहे थे और उनको सुलाने के लिए, सहनिवासी मदद कर रहे थे । कर्मचारी बच्चों को नहीं देख रहे थे ।

(10) सभी बच्चों को फोड़े–फुंसी थे ।

(11) सभी बच्चों को एक ही रंग व छापे के सस्ते सूती कपड़े दिए गए थे। कपड़ों की सिलाई ठीक नहीं थी। वे गन्दे व फटे हुए थे। बाकी निवासियों के कपड़े भी बिल्कुल उसी रंग व छापे के थे।

(12) कर्मचारियों द्वारा छोटे बच्चों को पीटते देखा गया।

(13) एक बच्चे को रात्रि में बाहर निकालकर, दरवाजा बन्द कर दिया गया।

(14) छोटे बच्चों को, टट्टी करने के बाद तुरन्त नहीं साफ किया जाता था। वह अपने ही मलमूत्र में लोटपोट हो रहे थे।

(15) बहुत छोटी उम्र के बच्चों को भी केवल तीन बार निश्चित समय पर खाना दिया जाता था। इसके अलावा बीच में कुछ नहीं मिलता था।

(16) एक ही प्लेट से तीन–तीन बच्चे खाना खा रहे थे।

(17) 16 मार्च को लड़कियाँ खुद पढ़ रही थी और उन्हें, कोई बताने वाला नहीं था।

(18) बच्चों के सिर न तो साफ थे, न ही उन पर तेल लगा था। बालों पर रिब्बन नहीं थे, और उनमें जूँए भरी थीं।

(19) खेलने के लिए कोई स्थान नहीं था। कोई खिलौने व खेल के साधन भी नहीं थे। बच्चों को नारी निकेतन से बाहर खिलाने या घुमाने का कोई प्रबंध नहीं था।

(20) वहाँ के निवासी ही बच्चों की देखभाल कर रहे थे, कर्मचारी उनका ख्याल नहीं कर रहे थे।

सरकार द्वारा इन महिलाओं के लिए पुनर्वास की सोच का दिवालियापन

तमिलनाडु सरकार द्वारा बम्बई के कोठों से 824 महिलाओं के "मुक्ति अभियान" के दौरान नज़र आया । के. पी. सुनील ने "इल्लसट्रेटेड वीकली आफ इन्डिया" (जुलाई 15–21, 1990) में लिखा "उनके लिए यह एक स्मरणीय यात्रा थी । 31 मई के "हिन्दू" पत्र ने लिखाः "ये एक क्रूर दुनियाँ से भलमनसाहत के गलियारे में पहुँच गई ।" काश यह सच होता ! बम्बई में कोठों से 824 महिलाओं को छुड़ाकर मद्रास लाया गया । यह काम विशेष पुलिस तथा एक स्वंयसेवी संस्था "सावधान" द्वारा किया गया । बम्बई ग्रॉट रोड व कमाठीपुरा से अक्सर महिलाओं को छुड़ाए जाने की खबरें छपती रहती हैं, लेकिन पहली बार तमिलनाडु सरकार ने बड़े पैमाने पर महिलाओं की मुक्ति की योजना बनाई । 24 मई को एक सह-आयुक्त, तीन इन्स्पैक्टर और 59 कॉंस्टेबल (ज्यादातर महिलाएँ) की टीम मद्रास से बम्बई के लिए रवाना हुई । इन्होंने 'सावधान' के विनोद गुप्ता और बम्बई के उपायुक्त, (क्षेत्र–6) वी. एम. काला के साथ मिलकर महिलाओं को छुड़ाने के लिए छापा मारा । 30 मई को इन 824 अभागी महिलाओं तथा 80 बच्चों को 'मुक्ति एक्सप्रैस' नामक एक विशेष ट्रेन द्वारा मद्रास लाया गया ।

"परन्तु उनको कोई आजादी नहीं मिली । बाद में इन महिलाओं को यह अहसास हुआ कि तमिलनाडु सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम मुख्यमंत्री श्री करूणानिधि के जन्म दिन पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए था । स्टेशन पर उनका स्वागत कल्याण मंत्री श्रीमति सुभुलक्ष्मी जगदीशन और हजार से ऊपर तमाशबीनों ने किया । वाहवाही के बीच यह स्पष्ट होता जा रहा था कि सरकार के पास उनके पुनर्वास की कोई ठोस योजना नहीं थी ।

मद्रास पहुँचने से पहले यह भी नहीं सोचा गया था कि महिलाओं को कहाँ ठहराया जाएगा । मद्रास पहुँचने के बाद ही स्वंय सेवी संस्थाओं से मदद माँगी गई । अन्त में मद्रास से कुछ दूरी पर एक निर्माणाधीन खुले जेल में उनको रक्खा गया । वहाँ भोजन का कोई इन्तजाम नहीं था और अनेक महिलाओं को 24 घन्टों तक भूखे रहना पड़ा । महिलाएँ बेचैन व उत्तेजित होकर अपना

गुस्सा सरकारी कर्मचारियों पर उतारने लगी । स्थिति पर काबू पाने के लिए महिलाओं पर लाठी चार्ज किया गया ।"

ये महिलाएँ सुधार ग्रहों में सड़ रही हैं । पुनर्वास तो दूर, सरकार उनके गैर कानूनी कारावास को कानूनी बनाने के लिए कदम उठाने की कोशिश में लगी है । इसी बीच अखबारों की खबरों से मालूम चलता है, कि एक महिला ने आत्महत्या कर ली है, दो लापता हैं, और एक अन्य की अस्पताल में मृत्यु हो चुकी है ।

क्या कोई हल है ?

सरकार के पास महिलाओं के पुनर्वास की कोई प्रभावी योजना नहीं है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने 28–29 मई, 90 को 'वैश्याएँ और उनके बच्चे' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सम्भवतः पहली बार जी. बी. रोड़ की महिलाओं को आमन्त्रित किया गया था । इन महिलाओं ने वहाँ विचार रक्खे कि उन्हें पुनःस्थापन के लिए नौकरी व घर दिलाना आवश्यक था।

यह विडम्बना ही है कि इन महिलाओं द्वारा रक्खे गए सुझाव केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा तैयार और वितरित की गई कार्यशाला की रिपोर्ट में नहीं लिखे गये । कुछ को ठोस काम करने या प्रथमिक सुविधाएँ जैसे कि राशन कार्ड उपलब्ध करवाने के बदले केन्द्रिय समाज कल्याण बोर्ड, जी. बी. रोड़ में, अब एक और सर्वे करवा रहा है ।

ग्रुप इन महिलाओं के सुझावों का समर्थन करता है । सर्वोच्च न्यायालय में श्री परमानन्द कटारा ने एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें वेश्यावृति में महिलाओं की नौकरी के लिए अलग से आरक्षण व्यवस्था की माँग की गई है । इस याचिका के लिए सम्पर्क पता है : श्री परमानन्द कटारा, वकील सुप्रीम कोर्ट, जे–20/6, पूर्वी विनोद नगर (मयूर विहार, फेज–2 के सामने) नई दिल्ली–110091.

इन महिलाओं को विधायकों, न्यायालयों तथा पुलिसकर्मियों द्वारा रत्ती भर भी न्याय मिलने की आशा नहीं है । कुछ स्वयंसेवी संस्थाएँ इन महिलाओं के बीच काम कर रही हैं, उनका क्या योगदान रहा है ? वे किस नज़रिए से काम करती हैं ?

3 स्वैच्छिक संस्थाएँ—उनका नज़रिया व भूमिका

कुछ स्वयंसेवी संस्थाएँ तथाकथित रूप से इन महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रही हैं । वेश्यावृत्ति के सवालों पर उनमें से अधिकतर के विचार पैतृक हैं । इन संस्थाओं द्वारा, कई बार ऐसे सुझाव दिए जाते हैं जिनसे महिलाएँ मुख्यधारा से और अलग हो जाएँगी, और प्रशासन द्वारा उन पर अत्याचार और बढ़ जाएँगे ।

वेश्यावृत्ति एक आवश्यक सामाजिक बुराई ?

डा० गिलाडा (महासचिव, भारतीय स्वास्थ्य संगठन) और श्री खैराती लाल भोला (अध्यक्ष, भारतीय पतिता उद्धार सभा) का दावा है कि वेश्यावृत्ति समाज की भलाई के लिए एक आवश्यक बुराई है । डा० गिलाडा के अनुसार "हमने बहुत से आदमियों व महिलाओं से बातचीत की है, जिनका मानना है कि वेश्यावृत्ति परिवार की संस्था को बचाए रखती है, बलात्कार में बढ़ोत्तरी नहीं होने देती, इसलिए यह एक ज़रूरी सामाजिक बुराई है ।"

सत्य तो यह है कि पुरूष प्रधान समाज में मर्दों में यौन सम्बन्धों के लिए पाई जाने वाली, उग्रता उनकी स्त्रियों के मुकाबले, समाज में एकतरफा, शक्ति सन्तुलन का एक नतीजा है । अमरीका में किशोरों पर अध्ययन करने पर श्री किंजे जो कि एक अमरीकी यौन विशेषज्ञ हैं, इस नतीजे पर पहुँचे कि "मर्द की यौन

इच्छा का उत्तेजित होना हार्मोनों से सम्बन्धित एक शारीरिक प्रतिक्रिया ही नहीं है, बल्कि पुरूष प्रधान समाज में एक अनुभव से सीखा व्यवहार भी है ।"

इस पुरूष प्रधान व्यवस्था में स्त्री को एक भोग की वस्तु मान लिया जाता है, जिसे एक तरफ तो विवाह संस्था में एक मर्द के भोग की वस्तु बना दिया जाता है तथा दूसरी ओर वेश्यावृत्ति में धकेलकर सबके भोग की वस्तु बना दिया जाता है । इस व्यवस्था को स्वीकृत कराने का मुख्य साधन महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता से वंचित रखना है ।

एक समाजशास्त्री यॉं डी' कून्हा, के अनुसार, "यह सोच कि वेश्यावृत्ति एक आवश्यक सामाजिक बुराई है, इस बात को नज़रअन्दाज कर देती है कि इसके, सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक और शोषण करने वाले पहलू हैं । इस सोच द्वारा समाज को हमेशा से, और हमेशा के लिए ऐसा मान लिया गया है, जिसमें महिलाओं का, वेश्यावृत्ति के रूप में शोषण होता है । इसमें यह भी मान लिया गया है कि पुरूष मानवीय यौन सम्बन्ध स्थापित करने के सक्षम नहीं है ।"

"हालॉंकि दुनियॉं के सभी देशों में वेश्यावृत्ति प्रचलित है परन्तु यह पुरानी सामाजिक व्यवस्थाओं में आज भी नहीं देखी जाती । महाराष्ट्र के वरली आदिवासियों में अभी तक यह बुराई नहीं थी, परन्तु जैसे–जैसे विकास बढ़ रहा है वहॉं भी वेश्यावृत्ति की शुरूआत हो रही है" ।

वेश्यावृति से बलात्कार कम नहीं होते –

"अमरीका, अफ्रीका, एशिया व निकारागुआ में महिलाओं व लड़कियों के अवैध व्यापार पर हुए अध्ययन से "लीग आफ नेशन्स कमेटी" ने यह सिद्ध किया कि वेश्यावृत्ति से बलात्कार कम नहीं होते । यह अध्ययन 1934 में किया गया था । पाया गया कि वैश्यालयों को बन्द करने से बलात्कारों में बढ़ोत्तरी नहीं होती"। (इन्डियन एक्सप्रेस, 5–10–1986)

बलात्कार का कारण पुरूष की यौन उग्रता वाली प्रकृति नहीं है । असली कारण तो है, समाज की उस नैतिकता का वैध बन जाना जिसमें महिला को एक भोग की वस्तु माना जाता है, और जो बलात्कारी के स्थान पर बलात्कार की शिकार महिला को दोषी ठहराता है, उसे कटघरे में खड़ा करता है और उसका जीना मुश्किल करता है ।

वेश्यावृत्ति में महिलाओं के स्वास्थ्य की चिन्ता क्यों नहीं ?

यह विडम्बना ही है कि वेश्यावृत्ति को समाज के लिए आवश्यक मानने वाले ये संगठन इन महिलाओं के कल्याण के बारे में कम ओर 'जनस्वास्थ्य' (समाज के मर्दानगी दिखाने वाले, मर्दों का स्वास्थ्य) के विषय में अधिक चिन्तित है । डा० गिलाडा के अनुसार "वेश्याएँ रतिज़ रोगों की जड़ हैं" । कानून के तहत वेश्याओं के लिए लाइसेंस जरूरी कर देने से उनकी बराबर जाँच की जा सकेगी । इससे समाज में बीमारियाँ नहीं फैलेंगी और जन स्वास्थ्य की रक्षा हो सकेगी ।"

यहाँ महिलाओं का स्वास्थ्य चिंता का विषय नहीं हैं । जब ये महिलाएँ पेशे में धकेली जाती हैं, तब इन्हें बीमारी नहीं होती है । इन्हें बीमारी ग्राहकों से ही लगती है । इसलिए चिकित्सा उपाय केवल महिलाओं के लिए ही क्यों ? उन ग्राहको की तरफ क्यों नहीं जो बीमारियाँ फैलाते हैं ?

लाइसेंस और अनिवार्य पंजीकरण की बात करना इन महिलाओं के ऊपर अधिक अत्याचारों को बुलावा देना है । इसका उद्देश्य साफ महिलाएँ ग्राहकों के लिए उपलब्ध करवाना है । लेकिन इन महिलाओं के लिए साफ ग्राहकों की बात नहीं की जाती । 19वीं सदी में इंग्लैंड में जब इस तरह के कानून बनाये गये तो पुलिस किसी भी महिला को मनमाने ढ़ंग से वेश्या बताकर उसकी डाक्टरी जाँच करवाकर अपमानित करती थी ।

वेश्यावृत्ति में महिलाओं के मातृत्व का हक –

15 मार्च, 1990 को पुलिस द्वारा मारे गए भयानक छापे के पीछे कुछ स्वंयसेवी संगठनों का हाथ था । श्री भोला ने इस छापे का स्वागत करते हुए बयान दिया (पंजाब केसरी 16 मार्च, 90) वास्तव में इन महिलाओं को पूर्ण विश्वास है कि इस छापे के पीछे श्री भोला का हाथ था । छापे के बाद वह जी. बी. रोड़ पुलिस रक्षकों के साथ ही जा पाये । इस संदेह का आधार वे सब बैठकें हैं जो श्री भोला ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में करवाई थी, जिनमें महिलाओं को धमकी दी गई थी कि यदि वे अपने बच्चे सरकारी अनाथाश्रमों में नहीं डालेंगी तो उन पर बल प्रयोग होगा ।

एक अन्य समाज सेवी संस्था 'सैंटर आ़फ कन्सर्न फॉर चाइल्ड लेबर' का रवैया भी इसी प्रकार का था । इस संस्था ने 15 मार्च, 1990 को हुए छापे के सम्बन्ध में एक बैठक का आयोजन किया । उनका निमंत्रण पत्र कुछ इस प्रकार था : "पुलिस ने 112 बच्चों को जे. जे. अधिनियम के अन्तर्गत अपनी हिरासत में लिया । पुलिस द्वारा उठाया गया कदम प्रशंसनीय था । पुलिस के अनुसार उपेक्षित बच्चों की देखभाल जरूरी है । पुलिस उनकी स्वास्थ्य जाँच भी करवाना चाहती थी । पुलिस का उद्देश्य जी. बी. रोड़ के बच्चों को एक बेहतर जीवन उपलब्ध करवाना था । जे. डब्ल्यू. बोर्ड ने इन बच्चों को रिहा करके, इनको फिर से जी. बी. रोड़ में सड़ने के लिए भेज दिया । इसका कारण था कि स्वंयसेवी संगठन, मानवाधिकार संगठन तथा राजनैतिक दल चुप बैठे थे ।"

इस संस्था ने, जिसने जी. बी. रोड के एक बच्चे का भी पुनर्वास नहीं किया है, यह तय कर लिया कि दिल्ली पुलिस उन बच्चों के कल्याण के लिए उनकी माताओं से भी अधिक चिन्तित हैं । सिर्फ इसलिए कि ये माताएँ वेश्यावृत्ति में हैं। यह संस्था इस तथ्य को भी भूल गई कि न्यायिक जाँच द्वारा यह पाया गया कि; हिरासत में लिए गए व्यक्तियों में से अधिकतर बच्चों की माताएँ थीं, न कि

स्वंय बच्चे । साथ ही यह भी पाया गया कि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों में जो बच्चे थे भी, उनमें से अधिकतर स्कूल जाने वाले थे और उपेक्षित नहीं थे ।

ऐसा ही आपत्तिजनक व्यवहार देखने में आया जब बम्बई की एक स्वंयसेवी संस्था, 'सावधान' ने बम्बई व तमिलनाडु पुलिस के साथ मिलकर बम्बई में कोठों पर छापा मारा । वहाँ से 'मुक्त कराई गई' 824 महिलाओं को नौकरी का आश्वासन दिया गया था । लेकिन मद्रास पहुँचने पर उनको रिमाण्ड होम्स में डाल दिया गया । जहाँ की स्थिति कोठों से बदतर थी । एक हिजड़े (कोठा चलाने वाले कुछ लोग हिजड़े हैं) जानकी ने शिकायत की कि छापे के दौरान 'सावधान' के कार्यकर्त्ताओं ने उनके सामान को तोड़ा फोड़ा, अल्मारियाँ तोड़ दीं, तथा पैसा चुरा लिया । पुलिस कार्यवाही के दौरान 'सावधान' के एक कार्यकर्त्ता रामालिंगम के पास से एक हिजड़े के चोरी किए 412 रु0 बरामद किए गए । 'सावधान' के विनोद गुप्ता ने अखबारों में धमकी भरा बयान भी दिया "भगवान का शुक्र मनाइए कि हिजड़ों को हमने जिन्दा नहीं जला दिया" ।

वेश्याओं के कल्याण का काम जब इस बुरी दशा में है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जब इन महिलाओं की जबरन एच. आई. वी. जाँच की जाती है तब कोई उनका साथ नहीं देता । अखबार वालों का यह सामाजिक कर्त्तव्य बनता है कि इन महिलाओं व उन व्यक्तियों की समस्याओं पर प्रकाश डालें जिनको एच. आई. वी./एड्स है । क्या अखबार वालों ने इस चुनौती का सामना किया है ?

4 प्रचार माध्यमों की कमियाँ

हालाँकि पत्र पत्रिकाओं ने बहुत बार एड्स मरीजों की समस्याओं के बारे में रोशनी डाली है, परन्तु अनेक बार कुछ पत्र पत्रिकाओं ने लापरवाही से सनसनी खेज लेख लिखे हैं, बाकायदा गलत जानकारियाँ दी हैं और असभ्य भाषा का

प्रयोग किया है जैसे कि "रंडियाँ जाँच द्वारा पोजिटिव पाई गईं" (ईवनिंग न्यूज दिल्ली 1–3–90) । इन महिलाओं व बच्चों के चित्र बिना सोचे समझे छापे जाते हैं, और जब ये महिलाएँ विरोध में पत्र भेजती हैं तो उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है ।

कुछ उदाहरण–

1. एक हिन्दी मासिक पत्रिका "ग्रहशोभा" के मई, 89 अंक में एक लेख छपा था जिसमें पत्रकार श्री सर्वदमन सांगवान ने जी. बी. रोड़ की महिलाओं और बच्चों के विषय में झूठी व सनसनीखेज बातें लिखीं । उनहोंने लिखा कि "कोठों के सब बच्चों को शाम के वक्त एक दलाल द्वारा कमरे में बन्द कर दिया जाता है ।" उन्होंने एक और मनघड़ंत बात, एक बारह वर्षीय लड़के के बारे में लिखी कि वह अपनी माँ के लिए ग्राहक लाया था । उन्होंने लिखा कि "जी. बी. रोड़ के कमरों में बहुत बदबू और सीलन है" । यह भी लिखा कि "यहाँ छोटे–छोटे बच्चों को ब्लू फिल्मों से भी बुरे दृश्य देखने को मिलते हैं" । आगे लिखा, "खाना बनाने के लिए 10–15 महिलाओं को एक ही स्टोव दिया जाता है और उन्हें अपनी बारी के लिए दो–दो घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ती है" ।

इन महिलओं ने सम्पादक को पत्र लिखते हुए सभी आरोपों को गलत बताया । उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि "किसी भी बच्चे को कमरे में बन्द नहीं किया जाता । उनका धन्धा बन्द दरवाजों के पीछे कैबिनों में होता है, इसलिए बच्चों के ब्लू फिल्म जैसे दृश्य देखने का प्रश्न ही नहीं उठता । कोई भी उनको तेल का स्टोव देता नहीं है । हर महिला स्टोव खरीद सकती है, इसलिए स्टोव के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा वाली बात झूठी है" । पत्रिका में इस चिट्ठी को नहीं छापा गया ।

2. 6.10.90 को 'संडे मेल' के प्रथम पृष्ठ पर एक लेख 'मुक्त कराई गई वेश्याओं को एड्स है' में जया मैनन ने लिखा, "बम्बई के कोठों से मुक्त कराई

गई 749 में से 530 लड़कियों को शायद एड्स है" । सोचने की बात है कि पूरे देश में अभी तक केवल 57 एड्स केस प्रमाणित हुए हैं । ऐसी गलत रिपोर्टों द्वारा भय और तहलका ही मचेगा । एड्स के बारे में लोगों को सही शिक्षा नहीं पहुँच पाएगी। एलाइसा जाँच द्वारा पाए गए पोजिटिव लोगों में से कुछ को ही दूसरी जाँच (वैस्टर्न ब्लाट, जो इन महिलाओं पर नहीं की गई) द्वारा असल में एच. आई. वी. पोजिटिव पाया जाता है । इन प्रामाणिक केसों में भी 10 साल बाद तक केवल 50 प्रतिशत केसों में एड्स रोग होता है । केवल यही एक उदाहरण नहीं है जहाँ चिकित्सा समुदाय द्वारा गलत वैज्ञानिक जानकारी दी गई है, और अखबार द्वारा लापरवाही से छापी गई है । अखबारों में एच0 आई0 वी पोजिटिव, और एड्स मरीजों को बहुधा एक ही संज्ञा दी जाती है ।

3. जी. बी. रोड़ के कुछ बच्चों को दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे 'विलेज कॉटेज होम्स' में भरती किया गया था । उस समय उनकी तस्वीरें अखबारों में प्रमुखता से छापी गईं । इस पर महिलाओं को बहुत गुस्सा भी आया और अधिकतर ने तय किया कि वे अपने बच्चों को कॉटेज होम्स में भरती नहीं करायेंगी । उन्हें भय था कि उनके सम्बन्धी उनकी तस्वीरों को पहचान लेंगे, जिससे उनको बहुत दिक्कतें आएँगी ।

4. मार्च, 1990 को जे . जे. अधिनियम के अन्तर्गत छापे के दौरान जी. बी रोड की महिलाओं के चित्र अखबारों में छापे गए । तस्वीरें उनकी मरजी के विरूद्ध ली गई थीं । हर फोटो में उन्होंने अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश की है । ऐसी तस्वीरें छापना जे. जे. अधिनियम में अपराध करार दिया गया है । पुलिस मुख्यालय पर जब बार–बार कहने पर भी वीडियों कैमरा नहीं हटाया गया तो उन महिलाओं ने एक वीडियों कैमरा तोड़ डाला ।

5. 25 मार्च, 1990 को दूरदर्शन ने इस पुलिस छापे पर एक कार्यक्रम दिखाया। इसकी रिकार्डिंग में ग्रुप सदस्या ललिता एस. ए. को भी बुलाया गया । ललिता ने महिलाओं और बच्चों की ओर से बात की तथा छापे का विरोध किया । इस

कारण उसके चार मिनट के बयान में से पौने चार मिनट के बयान को काट दिया गया।

6. बम्बई की एक एच. आई. वी. पोजिटिव महिला का नाम, उम्र व पता, 11–8–90 को 'फ्री प्रैस जंरनल' के प्रथम पृष्ठ पर छापा गया । ऐसी रिपोर्टों से गोपनीयता का उल्लंघन होता है । यह उस महिला को हमलों का शिकार बना सकता है । यह मानवता के विरुद्ध अपराध है ।

7. कलकत्ता की एक एड्स ग्रस्त महिला का नाम व पता 'हिन्दुस्तान टाइम्स' (27–8–90) में छापा गया ।

8. बम्बई की 824 महिलाओं को 'मुक्त' कराकर जब मद्रास लाया गया, उस समय रेलवे स्टेशन पर दूरदर्शन टीम, पत्रकारों और राज्य फिल्म डिविज़न के लोगों ने अनुकूल स्थानों पर खड़े होकर फोटो लिए । क्या इस प्रकार से मुक्त कराने के तथाकथित उद्देश्य (महिलाओं को उनके परिवार से मिलवाकर उनका पुनर्वास करना) को नुकसान नहीं पहुँचा ?

9. मणिपुर में जब एक स्थानीय पत्र में 19 एच0 आई0 वी0 पोजिटिव व्यक्तियों के नाम प्रकाशित किए गए तो उन्हें सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए । (संडे, 30 दिसम्बर 1990 से 5 जनवरी 1991)

10. 'इलेस्ट्रेटिड वीकली आफ इन्डिया' (अप्रैल 15–21, 1990) में 'एड्स का मुकाबला' नामक लेख में एक महिला की तस्वीर दिखाई गई जिसकी एड्स से मृत्यु हो चुकी थी । उसकी नग्न लाश को कूड़े की भाँति फेंकते हुए दिखाया गया । उसका नाम भी प्रकाशित किया गया । साथ ही कुछ और वेश्यावृत्ति में महिलाओं, तथा पेशेवर रक्तदाताओं की तस्वीर व नाम भी छापे गए । खुद सम्पादक के अनुसार इन लोगों को बताया नहीं गया था कि वे एच. आई. वी. पोजिटिव हैं । एक ग्रुप सदस्य सिद्धार्थ गौतम ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए सम्पादक को लिखा कि इन लोगों के नाम व फोटो छापना, अनैतिक, अमानवीय और दूसरों

की पीड़ा से सुख प्राप्त करने जैसा है । लेख का भाव इस प्रकार की धारणाओं को बढ़ावा देने वाला है, जिसके अनुसार समाज दो वर्गों में बंटा है और उनके बीच कोई लक्ष्मण रेखा है । एक आत्मसंतुष्ट और स्वस्थ व्यक्ति, 'हम' जो जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरे : 'वे' पथभ्रष्ट व्यक्ति जो बीमारियों के पुतले हैं और समाज में बीमारी फैलाते हैं ।

लेख में वेश्यावृत्ति में महिलाओं को प्राथमिक रोगवाहक बतलाना और यह संदेश देना कि वे 'बेगुनाह' स्वस्थ पुरूषों को बीमारी फैलाती हैं, अनुचित है । लेख में वेश्यावृत्ति में महिलाओं के बारे में झाड़ूमार टिप्पणियाँ दी गई हैं, जैसे कि "दस माह के दौरान कमाठीपुरा के कोठों में एक महिला ने एक हज़ार ग्राहकों को बीमारी फैला दी है" और "पूरे देश में 2 से 3 लाख एच. आई. वी. पोज़िटिव महिलाओं द्वारा असंख्य बेगुनाह पुरूषों को बीमारी फैल सकती है"। इस प्रकार से गैर वैज्ञानिक आँकड़ों का प्रचार करना एड्स की बीमारी की ओर कम और नारी जाति के बारे में पूर्वाग्रहों की ओर अधिक इशारा करता है । आगे लेख में एक पेशेवर रक्तदाता के बारे में कहा गया है कि "वह एच. आई. वी. पोज़िटिव है जिसका साधारण भाषा में अर्थ है कि उसे एड्स है" । एच. आई. वी. पोज़िटिव रक्तदाताओं को फुटपाथ पर अपनी मौत की प्रतीक्षा करते हुए बताया गया है । इस एक लेख के भंयकर परिणाम हो सकते हैं । एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्ति तो लम्बे अर्से तक स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं । दस साल बाद भी केवल 50 प्रतिशत एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों को एड्स बीमारी होती है । लेख द्वारा इन दोनों, एच. आई. वी. और एड्स को एक बताकर एकदम गलत जानकारी दी गई है । 'अधिक जोखिम वाले वर्गों' के बारे में ऐसी बातें लिखी गई हैं, हालाँकि लेख के दूसरे स्थान पर बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एच. आई. वी. संक्रमण हो सकता है – जवान या बूढ़ा, अमीर या गरीब, समलिंगी, इतरलिंगी या यौन परहेजगार, एक निबाही या स्वच्छंद संभोगी' ।

इस पत्र को पहले नहीं छापा गया । इसे दोबारा रजिस्ट्री द्वारा भेजा गया,

तथा इस बार भारतीय पत्रकारिता परिषद् के निर्देशों का ज़िक्र किया गया । तीन माह बाद पत्र के कुछ अंश ही छापे गए ।

11. 8 जनवरी, 1990 को हिन्दी के एक दैनिक-पत्र, 'नवभारत टाइम्स' में एक लेख छपा । इसमें जी. बी. रोड की महिलाओं में संक्रामक बीमारियों के बारे में ऊल-जलूल बातें लिखी गई थी । जैसे कि "वहाँ 1986 से 1989 के बीच, तीन सालों में संक्रामक रोगों से पीड़ित महिलाओं का प्रतिशत चार गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है" । जब महिलाओं ने 13 जनवरी, 1990 को सम्पादक के नाम पत्र लिखकर, इन आँकड़ों का स्रोत पूछा तो उस पत्र को छापने से इन्कार कर दिया गया । जब ग्रुप के चार सदस्य इस अखबार के प्रतिनिधि से मिले तो उनका कहना था कि "एक जागरूक अखबार होने के नाते, जनता को वेश्याओं द्वारा होने वाले खतरों से आगाह करना उनका फर्ज था, और इस 'अच्छे' काम के लिए आँकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर भी छापा जा सकता है" । उनके जी. बी. रोड़ की महिलाओं के अखबार में पत्र छपवाने के हक पर भी सवाल थे । ग्रुप सदस्यों ने उन्हें काफी देर समझाया और भारतीय पत्रकारिता परिषद् के निर्देशों का भी हवाला दिया । आखिर वह पत्र 5 फरवरी, 1990 को छापा गया । लेकिन पत्र में पूछे गए सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला ।

भारतीय पत्रकारिता परिषद्

यदि "भारतीय पत्रकारिता परिषद्" शिकायत मिलने पर या स्वंय यह सोचती है कि किसी पत्र या समाचार ऐजेंसी ने पत्रकारिता की आचार संहिता का उल्लंघन किया है या जनरूचि के स्तर को गिराया है या किसी सम्पादक या पत्रकार ने गलत आचरण किया है, तो परिषद् सम्बन्धित पत्र, एजेंसी, सम्पादक या पत्रकार की बात सुनकर भा० प० प० अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार जाँच कर सकती है और यदि उचित समझती है तो लिखित में कारण बताकर उस पत्र, एजेंसी, सम्पादक

या पत्रकार को चेतावनी दे सकती है, धिक्कार सकती है, सेंसर कर सकती है या केस के मुताबिक सम्पादक या पत्रकार के आचरण पर टिप्पणी कर सकती है ।

इस जानकारी का प्रचार भी जरूरी है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति निम्न पतें पर औपचारिक शिकायत दे सकता है ।

सचिव, भा० प० प०, फरीदकोट हाऊस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001

पत्र पत्रिकाओं के एड्स/एच० आई० वी० जैसे विषयों में आपत्तिजनक लेखन को देखते हुए ब्रिटिश पत्रकारिता परिषद ने उस देश में प्रैस के लिए एक निर्देश सूची तैयार की है । ग्रुप की यह धारणा है कि भा. प. प. को भी जल्द से जल्द ऐसी निर्देश सूची तैयार करनी चाहिए और उसे पूरे देश की प्रैस तक पहुँचा देना चाहिए ।

ऊपर लिखित अध्यायों से यह जाहिर होता है कि पुलिस, न्यायालय, प्रैस और विधायक, सभी का ध्यान अभी तक तथाकथित "जनहित" तक सीमित रहा है, और उन्होंने वेश्यावृत्ति में महिलाओं को न्याय मिले, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है ।

ग्रुप का यह मानना है कि समय आ गया है कि अब समस्या के दूसरे पहलू की ओर ध्यान दिया जाए, और एक ऐसी चेतना विकसित की जाए जो महिलाओं को सजा देने के स्थान पर उन्हें न्याय दिलाने की बात करती है ।

माँग पत्र

1. जबरन जाँच बंद की जाए तथा उसके स्थान पर स्वैच्छिक, गुमनाम जाँच के तरीकों को लागू किया जाए । एच. आई. वी. पोजिटिव, वेश्यावृत्ति में महिलाओं और पेशेवर रक्तदाताओं, तथा उन सभी व्यक्तियों के लिए जो एच. आई. वी. के कारण आजीविका खो बैठते हैं, ठोस आर्थिक विकल्पों का प्रावधान हो ।

2. स्वास्थ्य मंत्रालय और भा. चि. प. को अपने बयान में स्पष्ट करना चाहिए कि जो डाक्टर, नर्स व अन्य स्वास्थयकर्मी एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों या एड्स मरीजों का इलाज करने से इन्कार करते हैं उन्हें पेशे की आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी घोषित किया जाएगा । एच. आई. वी. पोज़िटिव व एड्स रोगियों को अस्पताल में भरती न करना अपराध माना जाए ।

3. उन सब चिकित्सा कर्मचारियों को निलंबित किया जाए जो एच. आई. वी. पोज़िटिव व एड्स मरीजों के इलाज के बारे में, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सैंटर फार डिजीज़ कन्ट्रोल, एटलॉटा (अमरीका) केन्द्रिय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा जारी की गई निर्देश पुस्तिकाओं का उल्लंघन करते हैं । ऐसी कार्यवाही करने से पूरे देश में चिकित्सा कर्मियों को संदेश मिल जाएगा कि एच. आई. वी. पोज़िटिव व्यक्तियों व एड्स मरीजों का इलाज न करना निःसंदेह इस बीमारी को बढ़ने व फैलाने का सबसे पक्का तरीका है ।

4. जाँच के सभी तरीकों को मान्यता देकर लागू किया जाए, और दोषी ब्लड बैंकों तथा रक्त से बनी दवाइयाँ बनाने वाली कम्पनियों पर जुर्माना किया जाए।

5. अच्छी क्वालिटी के कन्डोम (निरोध) और एक बार इस्तेमाल करके फेंक दी जाने वाली सुइयों और सिरिंजों को वितरित किया जाए। सुरक्षित यौन शिक्षा तथा कन्डोम प्रयोग के सही तरीकों के बारे में बताया जाए।

6. देश में एच. आई. वी. की सही स्थिति समझने के लिए स्वैच्छिक और गुमनाम तरीकों से वैज्ञानिक सर्वे करवाए जाने चाहिए।

7. एक ऐसा विभाग खोला जाए जिसमें नागरिकों द्वारा एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्तियों तथा एड्स मरीजों पर भेदभाव की शिकायतें की जा सकें।

8. सभी एच. आई. वी. पोज़िटिव व्यक्तियों को कारागारों, अस्पतालों, निगरानी घरों से तुरन्त रिहा किया जाए।

9. हमारे देश की गरीब जनता को वि० स्वा० स० द्वारा एड्स के किसी भी टीके के परीक्षण के लिए "चूहे" न बनाया जाये।

10. प्रचार माध्यमों द्वारा एड्स विषय में सनसनीखेज अवैज्ञानिक, भय और घृणा और दोष देने की प्रवृति को बढ़ावा देने वाले लेखन पर अंकुश लगाने के लिए भा० प० परिषद् एक स्पष्ट आचार संहिता तैयार करें और उसका पालन कराये।